# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

## राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्यय सत्र की कार्यवाही

### तेरहवीं बैठक-बृहस्पतिवार, दिनांक १७ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख १७ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, को सवाई मानसिंह टाउनहॉल, जयपुर में, ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

### अल्पकाल-सूचना प्रश्न

प्रश्न संख्या २४

**श्री माधोसिंह:**—Will the Hon'ble Minister for Irrigation be pleased to state:—

(1) What steps are being taken for quick completion of Jawai Dam ?

(2) If not, why ?

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:**—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री माधोसिंहजी ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में मैं अर्ज करूंगा कि सरकार की यह प्रबल इच्छा रही है की जवाई बंध का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाय ताकि सरकार और किसानों को इससे लाभ मिले। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण व साथ ही योग्य और अनुभवी अमला नहीं मिल सकने के कारण यह काम जितनी तेजी से होना चाहिये था उतनी तेजी से नहीं हो सका। इस साल इस काम के लिये बजट में २६ लाख २८ हजार रुपया रखा गया है हालांकि इस वक्त कमी का बजट है। इसमें १ करोड़ ८० लाख रुपयों की कुल आवश्यकता है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति इसी तरह से चली तो हो सकता है कि इस काम को पूरा करने में विलम्ब हो। अतः सरकार प्रयत्न कर रही है कि इस काम को भी पंच वर्षीय योजना में रखा जावे जिससे अधिक रुपया इसके लिये मिल सके और यह काम जल्दी ही खतम किया जा सके। खुशी की बात है कि स्टेटस मिनिस्ट्री और फाइनेन्स कमिशन दोनों ने ही इस बात का आश्वासन दिया है कि इसके लिये वे फाइनेन्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेन्ट ओफ इंडिया से सिफारिश करेंगे और मेरा ख्याल है कि यदि यह सहायता मिल सकी तो यह काम बहुत जल्दी समाप्त करने की कोशिश की जायगी।

श्री माधोसिंह:–क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहले जो जवाई बंध के लिये माहवारी खर्चा और बजट मंजूर हुआ था क्या उसमें अब कुछ कभी करदी गई है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–अगला काम भावी बजट के अनुसार रहेगा ।

श्री माधोसिंह:–क्या यह खर्चा पहले से कुछ कम कर दिया गया है या उतना ही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–पहले से कुछ कम कर दिया गया है। इस समय २६ लाख २८ हजार रुपये इसके लिये रखे गये हैं, पहले इससे अधिक थे ।

श्री माधोसिंह:–अब जब कि इस बंध से सिंचाई चालू हो गई है और उससे आमदनी होगी तो ऐसी हालत में यह खर्चा कम क्यों किया गया ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–जैसा कि मेने पहले अर्ज किया कि इस वर्ष आर्थिक कठिनाई होने के कारण खर्चे मे कमी की गई है। लेकिन इससे भी अधिक खर्च करने के लिये इस योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि ऐसा हो सका तो इसे बहुत जल्दी समाप्त किया जा सकता है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह सूचना प्राप्त कर सकता हूं कि इस काम को कब तक समाप्त कर दिया जायगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–यदि भारत सरकार से इसके लिये आर्थिक सहायता मिलसकी तो एक वर्ष के अन्दर ही इसे खत्म करवाने की प्रबल इच्छा सरकार की है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार से रुपये कब तक मिलेंगे। रुपये मिलने पर ही यह कार्य समाप्त किया जा सकेगा ।

श्री जसवन्तसिंह:–यदि किसी वजह से भारत सरकार से रुपये नहीं मिल सके तो क्या राजस्थान सरकार इस काम को स्थगित करदेगी ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–राजस्थान सरकार की यह प्रबल इच्छा है कि जहां से भी जितना रुपया बचाया जासके उतना बचा कर इस काम में लगाया जावे ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–यदि भारत सरकार से किसी कारण से ग्रान्ट प्राप्त नहीं हो सकी तो ऐसी सूरत में यह काम कब तक समाप्त हो सकेगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–यदि हमारी आर्थिक स्थिति आज से अधिक नहीं सुधरी तो इस कार्य को पूरा करने में ६–७ साल लग जायेंगे ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–६–७ साल किसी चालू स्कीम के लिये, जिसकी उपयोगिता सभी वर्ग स्वीकार करते हैं, लग जाना सरकार की दृष्टि से असंतोषजनक नहीं है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–यह योजना उपयोगी अवश्य है और भी कई उपयोगी योजनाएं हैं लेकिन यहां का बजट जैसा कि आपने देखा है घाटे का है ऐसी सूरत में अधिक लगाने की गुंजायश नहीं है। लेकिन इस संबंध में मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इसके लिये जितना भी रुपया खींचा जा सके खींचूं और इस काम को पूरा करूं। मैं आशा करता हूं कि आपका इसमें सहयोग मिलेगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या सरकार के सामने ऐसी निश्चित योजना है कि इस वर्ष कितनी एकड़ जमीन की सिंचाई इस बंध से की जायगी ? ऐसा कोई टारगेट है या नहीं, बतलाया जावे।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–इस समय थोड़ी सिंचाई हुई है। यदि माननीय सदस्य ने पहले प्रश्न किया होता तो और भी पूरा जवाब देता। इसके लिये टाइम चाहता हूं। फिर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जायगा तो जवाब दे सकूंगा।

श्री माधोसिंह:–इस वर्ष बहुत सिंचाई इस बंध से हुई है और भी चार गांवों में अधिक हो सकती है उससे आमदनी होगी। फिर भी इसमें कमी क्यों की जारही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं। रुपयों के लिये बहुत प्रयत्न किया जारहा है। जितने रुपये प्राप्त होंगे वे लगायें जायेंगे।

श्री कपिलदेव:–क्या आपको मालूम है कि पंचवर्षीय योजना को छाया कर दिया गया है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–मुझे मालूम नहीं है। मालूम होने पर जवाब दे सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर:–क्या यह ठीक है कि जवाई बंध से बिजली पैदा करने की योजना सरकार ने स्थगित करदी है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—अभी फिलहाल थोड़े समय के लिये ऐसा किया गया है।

श्री मानसिंह:—क्या सरकार को यह मालूम है कि थोड़े समय के लिये योजना हटाने से सरकार को ६० लाख रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—योजना हटाई नहीं गई है।

श्री मानसिंह:—जब यह स्थगित करदी गई है तो कंसट्रक्शन का तरीका बदल गया है। उसकी वजह से दीवारें ज्यादा चौड़ी करनी पड़ेंगी और उसमें ६० लाख रुपये ज्यादा खर्च होंगे क्योंकि बाद में पक्का बननेवाला है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—जैसा कि मैंने आपको बतलाया, योजना स्थगित नहीं की गई है।

## प्रश्न संख्या २५- श्री नारायण चतुर्वेदी

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—अध्यक्ष महोदय, आज श्री नारायण चतुर्वेदी उपस्थित नहीं हैं इसलिये रूल्स ओफ बिजनेस के नियम २९ के अनुसार निवेदन करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

माननीय अध्यक्ष:—हां।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर, चाकसू, दौसा और सिकराय तहसील में कहां कहां चकबंदी की दर कायम हो गई है?

(२) उपरोक्त तहसीलों में जहां चकबन्दी की दर कायम हो गई है वहां चकबंदी के पर्चे क्यों नहीं बांटे जा रहे हैं?

(३) वहां अभी तक लटाई क्यों ली जा रही है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:—चाकसू और सिकराय तहसीलों के जागीरी गांवों की चकबन्दी की दरें मंजूर करली गई हैं। जयपुर और दोसा के जागीरी गांवों की दरें निकाली जा रही है। जहां चकबंदी की दरें मंजूर हो गई हैं वहां पर पर्चे बांटने का काम इसलिये हाथ में नहीं लिया गया है कि जागीरदारों को खुद काश्त जमीन के बारे में निश्चय होना बाकी है। यह आशा की जाती है कि यह काम अगले माह के अन्त तक हो जायगा। लटाई के बारे में यह आज्ञा दे दी गई है कि नकद रेन्ट लिया जाने वाला है इसलिये लटाई नहीं ली जाय।

श्री कपिलदेव:—सवाल नं० ३ के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौनसी तहसीलों में चकबन्दी की दर निश्चित करली गई है और कौन सी के लिये कार्यवाही चल रही है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर:—क्या नावा और परबतसर तहसीलों में चकबन्दी के पर्चे बांटने की योजना पूरी हो चुकी है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:–वहां पर पर्चे शीघ्रही बांटे जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर:–क्या हम आशा करें कि इस महीने के अन्त तक पर्चे बांटे जाने प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:–सदन के सूचनार्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस महीने की २१ तारीख से पर्चे बंटने शुरू हो जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर:–पर्चे बांटने के लिये पहले कुछ लोगों ने रुकावट डाली थी। इस समय फिर रुकावट डाली गई तो सरकार क्या करेगी ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:–इस तरह की रुकावट आ गई तो कानून के अनुसार जो भी किया जा सकता है, किया जायगा।

श्री माधोसिंह (भैंसवाडा):–वहां पर जो छोटे राजपूत हैं उनके खुद काश्त के सवाल को हल करने के लिये पहले यह काम रोका गया था। क्या अब खुद काश्त के सवाल को हल कर लिया गया है जो पर्चे बांटे जारहे हैं ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:–खुदकाश्त और पर्चा बांटने के सवाल में कोई संबन्ध नहीं है; इसलिये पर्चे बांटे जायेंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री:–खुद काश्त का सवाल तय नहीं हुआ था इसलिये पहले पर्चा बांटना रोक दिया गया था। क्या अब तय हो गया है इसलिये पर्चे बांटे जारहे हैं ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:–पहले खुद काश्त का सवाल तय होने के बाद पर्चे बांटने का विचार था परन्तु अब खुद काश्त का सवाल पोस्टपोन कर दिया गया है इसलिये पर्चे बांटे जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य:–क्या आप बतलायेंगे कि जागीरी इलाका और दूसरी तहसीलों की जागीरी जमीन और खालसा की जमीन में कुछ अन्तर है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:–जागीर और खालसा की जमीन में पर्चा बांट में कोई अन्तर नहीं है।

प्रश्न संख्या २६

श्री चान्दमल मेहता:–क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ के वर्ष में किशनग सब डिविजन में सिंचाई के तालाबों की मरम्मत के लिये बजट में कितने रुपये स्वीकृत हुए और कितना व्यय हुआ ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–किशनगढ़ सब डिविजन के लिये बजट में कुल १८ हजार रुपये रखे थे और अब २० हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री चांदमल मेहता:-क्या इस १८ हजार रुपये में सरवाड तहसील भी शामिल है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-हां। कुल १८ हजार रुपये रखे थे किन्तु २० हजार खर्च कर दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता:-अराई तहसील के लिये ८० हजार की जो स्वीकृति की सूचना इरिगेशन विभाग द्वारा दी गई क्या यह गलत है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता:-किन २ तालाबों पर खर्च किया गया, क्या सरकार ऐसी लिस्ट बता सकती है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-इसके लिये मुझे समय चाहिये।

श्री चान्दमल मेहता:-क्या २० हजार रुपये इरिगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा खर्च किए गए, उनमें कटौला तालाब भी शामिल है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-नहीं।

श्री चांदमल मेहता:-क्या इरिगेशन विभाग को अराई तहसील के लिये २५ हजार रुपये स्वीकृत होने की जो सूचना मिली है वह गलत है?

श्री भोगीलाल पंड्या:-मेरे ख्याल से माननीय सदस्य कहीं इम्प्रूवमेन्ट की रकम को तो नहीं समझ रहे हैं ?

श्री चांदमल मेहता:-क्या इरिगेशन में जो सूचना पहुंचती है वह गलत पहुंचती है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-नहीं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर कहा है आपका ख्याल इम्प्रूवमेन्ट से होगा।

श्री चांदमल मेहता:-जहां तक कि मैं समझता हूं जो कटपुरा का तालाब ४ साल पहले टूट चुका था, मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिये क्या २५ हजार रुपये की रकम स्वीकृत की गई थी, अगर हां तो वहां पर काम क्यों नहीं किय गया ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-इसके लिये ६० हजार रुपये फैमिन बजट से मंजूर किए गये थे। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता:-जो रुपया स्वीकृत किया गया उसका उपयोग हुआ नहीं ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–अधिकांश रुपयों का उपयोग हुआ है।

श्री रामदयाल:–क्या आप अधिकांश की परिभाषा दे सकेंगे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–मैंने सुना है कि काफी रुपया खर्च किया गया है।

श्री चांदमल मेहता:–क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जिन कामों के लिये रुपया मंजूर हुआ है वहां वर्षा के पहले काम शुरू हो जायगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–अवश्य ।

श्री मदनमोहन:–क्या तालाबों की सफाई और नहरों की मरम्मत के लिए भी कोई योजना है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–हां, है।

प्रश्न सं० २७

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री:–क्या माननीय दलित–वर्ग–मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर स्थित हरिजन बस्तियों के अभ्युत्थान के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? अगर ऐसी कोई योजना है तो सरकार ने किन किन तरीकों को काम में लाने का विचार किया है और वह कब से ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–जयपुर के सीटी डेवलपमेन्ट की योजना में दो मौके खास तौर से हरिजनों के लिये रिजर्व किए गए हैं । पहला तोपखाना हजूरी और दूसरा हीदा की मोरी के पास । इसके सिवाय 'सी' स्कीम में भी माननीय सदस्य को एक प्लाट दिया गया है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–क्या 'एफ' स्कीम में भी हरिजनों को बसाया जायगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–मुझे ऐसा लगता है कि हरिजन अब तक इसमें दिलचस्पी नहीं लेते रहे हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री:–क्या हरिजन बस्तियों में नल और बिजली लगाने की व्यवस्था की जा रही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—क्रमशः ४ जगह बिजली लगाई गई है।

श्री हरिशं सिद्धांतशास्त्री:—बनी पार्क में भी क्या हरिजनों को मकान बनाने के लिए जगह दी जायगी ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः–अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। अगर मांग आई तो अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री कपिलदेवः–क्या जयपुर के अलावा भी हरिजनों के लिए कहीं दूसरी जगह भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः—जहां कहीं से मांग आती है विचार किया जाता है ।

श्री कपिलदेवः–जहां से मांग आती है वहीं पर विचार किया जाता है या स्वयं सरकार भी कुछ विचार करती है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः–सरकार तो अवश्य सोचती ही है लेकिन वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये जिससे कार्य की गति बढ़ सके ।

प्रश्न सं० २८

श्री धर्मपालः–क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इन्जीनियर, नहर, के दफ्तर को गंगानगर न रखकर अलवर में रखने से क्या फायदा है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः–चीफ इंजीनियर का दफ्तर अलवर में इसलिये रखा गया है कि जो पुरानी राजधानियां रही हैं वहां कोई न कोई दफ्तर रखे जायं, ताकि वहां के कर्मचारियों को कोई खास असुविधा न रहे। अतः यह दफ्तर अलवर में रखा गया। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर का दफ्तर ऐसे स्थान पर रखा जाय, जो जयपुर के पास हो और अलवर जयपुर के पास में भी है। जयपुर में ही पहले रखने का विचार था किन्तु यहां मकानों की कमी थी और अलवर में मकान मौजूद थे इसलिए वहां रखा गया। अब रहा गंगानगर का प्रश्न। गंगानगर में सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर गंगा केनाल के लिए तथा भाखरा नांगल के लिए एक के बजाय दो अफसर रखे गये हैं। साथ ही एक यह भी बात है कि चीफ इंजीनियर को बारबार जयपुर बुलाना पड़ता है। उनको आने जाने में काफी समय न लग जाय, इसलिए उनका दफ्तर अलवर में रखा गया है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः—क्या अलवर मध्य में है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः–मध्य में तो नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः—क्या यह ठीक है कि चीफ इंजीनियर अक्सर जयपुर रहता है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः—हां, उनको जब २ जयपुर बुलाया जाता है तो उन्हें यहां आना पड़ता है और वे यहां रहते हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–चीफ इंजीनियर का हैड क्वाटर गंगानगर में नहीं होने से वहां के लोगों को असुविधा होती है, क्या सरकार को इसका ध्यान है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–जहां २ बड़े अफसर नहीं हो असुविधा हो सकती है किन्तु वहां पर सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर एक के बजाय २–२ रख दिए गये हैं। चीफ इंजीनियर के वहां न रहने से कोई खास असुविधा हो रही है ऐसा मुझे मालूम नहीं।

श्री रामदयाल:–एक के बजाय दो दो रखने से क्या यह सरकार के रुपये का अपव्यय नहीं है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–दोनों को रखने की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि एक तरफ भाखरा प्रोजेक्ट का जो पानी १९५४ तक मिलने वाला है उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी की आवश्यकता है ताकि जो पानी हमें मिले उसका ठीक समय पर उपयोग किया जा सके और इस गति को बढ़ाने के लिए ही दो दो सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर रखे गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या चीफ इंजीनियर को यह हिदायत है कि वह गंगानगर जाकर एट दी स्पोट अपने कार्य का निरीक्षण करे।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—हिदायत ही नहीं, उनका कर्तव्य है।

श्री कुम्भाराम:–क्या यह ठीक है कि चीफ इंजीनियर कभी कभी ही अलवर रहता है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–यह बिल्कुल ठीक है कि अलवर में उनका मुख्य कार्यालय है, जयपुर उनको बुलाया जाता है और वे आते जाते रहते हैं और अगर गंगानगर में काम होता है तो वहां भी उन्हें जाना पड़ता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दृष्टिकोण उन्होंने बताया कि पुरानी राजधानियों में दफ्तर रखने होंगे तो क्या उस दृष्टिकोण के अनुसार मछली विभाग का दफ्तर जैसलमेर में रखा जायगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि चीफ इंजीनियर को बार बार बुलाना पड़ता है और उसके लिए अलवर नजदीक है ऐसा सोचकर ही उसे अलवर रखा गया है न कि मछली विभाग को जैसलमेर रखने के लिए।

श्री कपिलदेव:–क्या इसे स्थानान्तर करने का विचार सरकार रखती है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—जी नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:—जहां तक मैं ख्याल करता हूं किसी न किसी कारण से हरेक अधिकारी को जयपुर आना ही पड़ता है। गवर्नमेन्ट के हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट जो कि अभी तक पुरानी रियासतों में हैं उन्हें भी क्या सरकार जयपुर लाने का विचार रखती है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—यह प्रश्न इससे सम्बन्धित तो नहीं है लेकिन मैं इतना बता दूं कि जयपुर में यदि मकान मिल गये तो दूसरे विभागों को भी यहां लाने की आशा की जा सकती है।

श्री तेजमल बाफना:—एक महीने में चीफ इंजीनियर जयपुर कितने दफा आता है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इसकी निश्चित जानकारी देने के लिए नोटिस चाहिये।

प्रश्न संख्या २९

श्री तेजमल बाफना:—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १८ फरवरी, १९५२, से जागीरदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया है लेकिन यह एक्ट अभी तक अमल में नहीं लाया गया है ?

(२) सरकार इसको कब तक कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—सरकार सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध पूर्ण होने पर इस कानून को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करेगी।

(२) इस कार्यवाही की निश्चित तिथि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दी जायगी।

श्री तेजमल बाफना:—कितने समय के अन्दर इसको कार्यान्वित किया जायगा; महीने, छः महीने, बारह महीने, कब तक ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैंने पहले ही जवाब दिया कि इसकी निश्चित तिथि गजट में प्रकाशित कर दी जायगी।

प्रश्न संख्या २९ अ.

श्री धर्मपाल:—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

१. उनके ध्यान में यह बात है कि जागीरदार, पट्टेदार व जमींदार, काश्तकार किसानों की काश्त की गिरदावरियां उनके (काश्तकारों के) नाम न करवा कर खुद काश्त दर्ज करवा रहे हैं ?

२. अगर (ध्यान में) है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—सरकार की जानकारी में ऐसी कोई विशे स्थिति नहीं है; फिर भी समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

श्री कपिलदेव:—क्या सरकार को मालूम है कि गिरदावर रजिस्टर खाली रखते हैं और पटवारी रिश्वत लेकर उन्हें भरते हैं ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—इस प्रकार की कोई निश्चित बात सामने नहीं रखी गई हैं । अगर कोई ऐसी स्थिति सामने आई तो सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी ।

श्री कपिलदेव:—इस किस्म की बातों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—निश्चित तौर पर सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें दे दी गई है। हर एक विभाग के रजिस्ट्रार व लेंड रिकार्ड इन्सपेक्टर को इस बात से सूचित कर दिया गया है कि जो भूमि सुधार कानून राजस्थान में लागू किया जा रहा है, सम्भव है कि रजिस्टर वगैरा खाली रहें इस वजह से वे गिरदावर व दूसरों के रजिस्टरों की समय २ पर जांच करते रहें । अगर किसी भी आदेश को कोई अधिकारी न माने और इसकी तरफ अगर कोई माननीय सदस्य ध्यान दिलायेंगे तो अवश्य उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—क्या सरकार को मालूम है कि पटवारी व गिरदावर का बर्ताव ठीक करने के सिलसिले में मार पीट की गई और सरकार को इस स्थिति की सूचना भी दी गई ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मेरे पास बर्ताव ठीक करने के लिए मार पीट की गई ऐसी कोई सूचना नहीं है । मैं इसके लिए नोटिस चाहूंगा कि कहां और किस लिए यह मारपीट की गई ।

## प्रश्न संख्या ३०

श्री धर्मपाल:—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या उनके ध्यान में यह बात है कि जिला गंगानगर में पाकिस्तान को जाने वाले मुसलमानों की भूमि और सरकारी भूमि पर मुकामी अफसरान ने नाजायज कब्जा करके काश्त करवा रखी है और कागजात में उसको काश्त दिखलाया गया है ?

२. क्या सरकार इस विषय में जांच करने के लिए चक ३८ जी. जी., तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर के मुरब्बा नं० ६३, ६४ (१) और ६४ (२)

और चक ६ एल. एल., तहसील गंगानगर के कागजात की जांच करवायेगी और उसकी रिपोर्ट हाउस के सामने रखेगी ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इस विषय की जांच की जा रही है और इस प्रकार की जांच पूरी होते ही उसकी रिपोर्ट हाउस के सामने रखी जायगी।

श्री चान्दमल:–जांच कब तक होने की उम्मीद है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–यह प्रश्न राजप्रमुख के अभिभाषण के समय सामने आया था। जांच करने के लिये कमिश्नर द्वारा कागजात डिस्ट्रिक्ट में भेजे गये हैं और शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट आने की सम्भावना है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या इस सम्बन्ध में जितने भी वाकयात हुए हैं उन सबकी जांच की जायगी ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–हां, इस सम्बन्ध में जितनी शिकायतें आई हैं उन सब की जांच की जाने वाली है।

श्री कुम्भाराम:–क्या जांच में अपराधी माने जाने वालों को सजा दी जायगी ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जरूर दी जायगी।

प्रश्न संख्या ३१

श्री मोतीराम:–क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

१. जिला गंगानगर में आरजी काश्त भूमि तकसीम कराने के नियम बना दिए गये हैं ?

२. यदि नियम बना दिये गये हैं तो वे नियम बतलाये जाने की कृपा करें ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–कैनाल तथा घग्गरनाल प्रदेश और जिला गंगानगर की रायसिंहनगर तथा अनूपगढ़ तहसील में आरजी काश्त भूमि तकसीम कराने के नियम पहले से ही स्वीकृत किये जा चुके हैं और वे क्रमशः ७ जुलाई १९५१ तथा २० अक्टूबर १९५१ के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

२. अगर इसके बारे में फिर जानकारी चाहेंगे तो बता दी जायगी। नियमों के माफिक इसकी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।

प्रश्न संख्या ३२

श्री चान्दमल:-क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किशनगढ़ व रूपनगर तहसील की चकबंदी के पर्चे कब तक वितरित किये जाने की संभावना है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:-दिसम्बर १९५२ तक।

श्री चान्दमल:-यह पर्चे कब तक तैयार हो जायेंगे और आज तक इन्हें वितरित किये जाने में क्या रुकावट रही है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—जैसा कि मैंने बताया दिसम्बर १९५२ तक यह पर्चे बांट दिये जायेंगे।

श्री चान्दमल:— यह अब तक क्यों नहीं बांटे गए?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-इसके बारे में मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री कपिलदेव:-जो सवाल पूछे जायं, मंत्री महोदयों को उसकी पूरी जानकारी करके आना चाहिये। इन छोटी २ बातों के लिये नोटिस की क्या आवश्यकता है?

माननीय अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३

श्री चान्दमल:—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के किस २ हिस्से को अकाल पीड़ित घोषित किया गया है और उसका क्या आधार माना गया है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:-राजस्थान के अन्दर किसी भी क्षेत्र को अकाल क्षेत्र की तरह घोषित नहीं किया गया।

श्री चान्दमल मेहता:—चारे वगैरह की जहां कमी है क्या उसे अकाल क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाडिया:—अकाल क्षेत्र नहीं, वे कमी वाले इलाके घोषित किये गये हैं। जो २ इलाके घोषित किये गये हैं उनके नाम ये हैं:-

जयपुर डिवीजन:- जयपुर, सीकर, झूंझनूं, टौंक, सवाई माधोपुर की ३ तहसीलें, राजगढ़ सब डिविजन अलावा तहसील गोविन्दगढ़, मालाखेड़ा, बांसूर।

जोधपुर डिवीजनः–सारा डिवीजन।

उदयपुर डिवीजनः–सारा डिवीजन।

बीकानेर डिवीजनः– बीकानेर, चुरू डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़, अनूपगढ़, नोहर, भादरा तहसील।

कोटा डिवीजनः– बूंदी डिस्ट्रिक्ट, झालावाड और कोटा के अन्दर छबड़ा, चीपाबडौद, किशनगंज और शाहाबाद को छोड़कर सारा कोटा डिवीजन।

श्री चान्दमल मेहताः–क्या जिन क्षेत्रों को कमी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है उन्हें माफी दिलाने की कोई विशेष आज्ञा दी गई है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—नहीं।

श्री चान्दमल मेहताः—किशनगढ़ तहसील में लगान दोनों फसलों की एक साथ वसूल की जा रही है; क्या इससे माननीय मंत्री महोदय वाकिफ हैं ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–जहां पर पैदावार कम हुई है वहां छूट दी जा रही है और इसके बाद के सब इलाकों से वसूल की जा रही है।

श्री चान्दमल मेहताः–छूट के सम्बन्ध के क्या किशनगढ़ सब डिविजन पर विचार नहीं हुआ ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–अभी तक पूरे नक्शे नहीं बने हैं।

श्री चान्दमल मेहताः–नक्शे नहीं बने हैं तो उनके बनने से पहले ही इस तरह की वसूली होना क्या वाजिब है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–नहीं।

श्री हंसराज आर्यः–क्या कमी वाले इलाकों में भी लगान वसूल किया जायगा ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–मैंने पहले ही बता दिया कि लगान पैदावार के अनुपात से वसूल किया जायगा।

श्री चान्दमल मेहताः–जो गैर वाजिब लगान वसूल किया जा रहा है, क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई एक्शन लेगी ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–यह जानकारी होने पर अवश्य जांच कराई जायगी।

श्री भगवानसिंह तरंगी:—झालावाड़ जिले में जो लगान सख्ती से वसूल किया जा रहा है सरकार क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैंने पहले ही अर्ज किया कि जिन क्षेत्रों को कमी वाला क्षेत्र घोषित किया है उन क्षेत्रों की पैदावार को लक्ष्य रखते हुए ही लगान वसूल किया जायगा ?

श्री हिम्मतसिंह:—जब फसलें ही मौजूद नहीं है तो अब किस तरह से निर्णय किया जायगा कि पैदावार कितनी हुई ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—रिपोर्ट पहले से ही तैयार की जा चुकी है और तहसीलों में आ चुकी है।

श्री तेजमल बाफना:—क्या भीलवाड़ा जिले में भी कोई कमी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—भीलवाड़ा जिला भी उदयपुर डिवीजन में आ जाता है और जैसा कि मैंने अभी कहा सारा उदयपुर डिविजन ही कमी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—क्या वहां पर दोनों लगान वसूल किए जा रहे है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—कहीं २ पर ऐसा किया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या ३४

श्री तेजमल बाफना:—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

१. भीलवाड़ा नगर में गत वर्ष इन्टर कॉलेज खुल गया है लेकिन कालेज भवन में कुछ कमरों की छतें तैयार नहीं होने से विद्यार्थियों को दो शिफ्ट्स में पढ़ना पड़ता है ?

२. क्या सरकार इस विषय में कोई कदम उठा रही है ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—यह भीलवाड़ा स्कूल जो पिछले साल इंटरमीजिएट कॉलेज बना दिया गया है इसका मकान वहां के एक सेठ ने बनाया था । जिस वक्त यह बिल्डिंग पुराने राजस्थान को सौंपी गई इसके चार कमरों में छतें नहीं थी । इसके बाद हमने कोशिश की थी कि इसको बनाया जाय और इसके लिए चीफ इंजीनीयर, बिल्डिंग्स एन्ड रोड्स को लिख दिया गया था । उन्होंने पहले तो इस काम को चालू कर दिया था परन्तु बाद में मालूम हुआ कि उनका बजट खत्म हो गया है इसलिए फिर उन्होंने बन्द कर दिया है ।

श्री तेजमल बाफना:–यह बिल्डिंग किस समय राजस्थान सरकार को दी गई ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–जब फॉर्मर राजस्थान बना था उस वक्त दी थी ।

प्रश्न संख्या ३५

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके ध्यान में यह बात आई है कि जब खेती की पैदावार निकलती है तो उसके मूवमेंट पर तरह तरह की पाबन्दियां लगा कर भाव कम कर दिया जाता है; फिर वही पैदावार बाजार में पहुंचने के बाद उस पर से वे रुकावटें हटा ली जाती है, इससे किसान वर्ग में काफी असंतोष है । इस असंतोष को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–खेती की पैदावार निकलते समय नाज आदि के भाव घटाने के अभिप्राय से उसके मूवमेंट पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है और न ऐसे प्रतिबन्ध, नाज आदि मंडियों में पहुंचने के पश्चात, हटाये जाते है ।

वास्तव में स्थिति यह है कि नाज के प्रोक्योरमेन्ट के समय में मंडियों से नाज के मूवमेन्ट पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है परन्तु ऐसे प्रतिबंध से प्रोक्योरमेन्ट के भावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये भाव भारत सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किये जाते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल जब ऐसी पाबन्दी लगायी गयी थी तो लोगों को उस समय यह कहा गया था कि यह पाबन्दी एक साल तक लगी रहेगी ताकि भावों का असर न पड़े? लेकिन क्या यह सच है कि एक फरवरी से चने का प्रतिबंध हटा दिया गया है ,और अब सरकार का प्रतिबंध लगाने का इरादा है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–चने पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या सरकार यह बतलायगी कि गेहूं आदि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रतिबन्ध है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–सारा बीकानेर डिवीजन इसके लिए खोल दिया गया है । चना सारे राजस्थान में कहीं भी ले जाया जा सकता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या चने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:– इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

श्री गुरुदयालसिंह संन्धु:--क्या बीकानेर से गेंहू जोधपुर ले जाया जा सकता है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--जब फसल खराब होती है और जहां २ अनाज नहीं होता है वहां पहुंचाने का प्रबंध किया जाता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या सरकार को मालूम है कि किसी जगह पर दो सेर के और किसी जगह पर तीन सेर के गेंहू मिलते हैं, यह एक सेर का फर्क क्यों ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--(बोलने के लिए खड़े हुए )

माननीय अध्यक्ष:--नेक्स्ट क्वश्च्यन ।

प्रश्न संख्या ३६

श्री चान्दमल मेहता:--क्या माननीय खाद्य एंव नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

१. सन् १९५१-५२ के वर्ष में लेवी सेन्टर्स के मारफत कितना अनाज प्रोक्योर किया गया और उस प्रोक्योरमेंट पर कितना खर्चा पड़ा ?

२. राजस्थान सरकार के पास इस वक्त प्रोक्योर्ड और इम्पोर्टेड अनाज का कितना कितना स्टॉक है ?

३. सन् १९५१-५२ के वर्ष में प्रोक्योर्ड अनाज में से कितना अनाज घुनने बींधने आदि में कम हुआ है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-१. सन् १९५१-५२ में सरकार द्वारा २५,५०,००० मन गल्ला एकत्रित किया गया ।

२. सन् १९५१-५२ में ग्रेन सप्लाई स्कीम पर १०८,८१,७५५ रु० व्यय हुआ जिसमें विदेश से आये हुए अन्न पर लगा खर्चा सम्मिलित है । प्रोक्योरमेंट केन्द्रों पर ८,४३,१७० रु० व्यय किया गया ।

३. ता० १५.३.५२ के दिन सरकार के गोदामों में २२,७७,७७६ मन अनाज था । विदेश से आया हुआ नाज और राजस्थान में प्रोक्योर हुआ अन्न एक साथ संग्रह किया जाता है और इसी प्रकार वितरण भी किया जाता है इसलिए दोनों तरह के अन्न की पृथक् मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

४. सन् १९५१-५२ के पूरे आंकड़े अभी तैयार नहीं हो पाये हैं अत: कितना अन्न घुनने, बिंधने में कम हुआ इस समय नहीं बताया जा सकता ।

**श्री कुम्भाराम**:–यह किसकी गल्ती होगी ?

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या**:–बहुत प्रयत्न किया जाता है कि धान को सुरक्षित रखा जाय। फिर भी मौसम के कारण और कुछ कार्यकर्ताओं और वहां के अफसरों की गल्ती से यह हो जाता है।

**श्री कुम्भाराम**:–इसमें किसकी गल्ती होगी ?

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या**:–गल्ती मालूम करने का प्रयत्न सरकार कर रही है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जायगा।

**श्री जसवन्तसिंह**:–सरकार क्या यह बतायेगी कि जिन अफसरों की गल्ती मालूम हो जाती है उन्हें क्या पारितोषिक दिया जायगा या सजा दी जायगी ?

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या**:–सजा दी जायगी।

**श्री सम्पतराम**:–क्या एक भी कर्मचारी के विरुद्ध इस विषय में कदम उठाया गया है ?

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या**:–नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर जहां का मालूम होगा फौरन सजा दी जायगी।

**श्री मानसिंह**:–क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अब तक किन किन व्यक्तियों को सजा दी गई; क्या उनके नाम बतलाये जा सकते हैं !

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या**:–इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं।

**श्री चांदमल**:–क्या सरकार को यह मालूम है कि जो अनाज आता है उसमें बहुत सा सड़ा हुआ आता है और प्रति गाड़ी में पोन मन और कभी कभी मन कम आता है।

**माननीय श्री भोगीलाल पंड्या**:–मैं आपसे इस सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि हमने चार तरह के अनाजों का नक्शा तैयार करवाया है। एक तो वह धान जो चौमासे में खराब हो जावेगा, दूसरा चौमासे में खराब नहीं होगा, तीसरा जिसके कुछ घुन लगा हुआ हो और एक इस प्रकार का धान जिसको साफ कराकर सस्ता बेचना पड़ेगा और कितना ऐसा धान है जो मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है। इसका नक्शा तैयार है। यदि आप देखना चाहें तो मेरे से देख सकते हैं।

**श्री सन्तोषसिंह**:–मवेशियों के खाने योग्य कितना अनाज है ?

**श्री मोतीराम**:-सरकार को कितना नुकसान हुआ होगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--नुकसान तो होगा ।

श्री सन्तोषसिंह:--क्या सरकार को मालूम है कि ४०० बोरी जव पड़ा पड़ा स्टेशन पर सड़ रहा है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--मालूम किया जाएगा।

श्री चांदमल:--क्या माननीय मंत्री महोदय को विदित है कि बलूद ग्राम में दो साल से अनाज सड़ रहा है और बराबर लोग मांग रहे हैं कि धान को वहां से हटाया जाए ? मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--नहीं ।

श्री सन्तोषसिंह:--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को १९४७-४८ और १९४८-४९ की सालों के कमीशन अभी तक नहीं दिये हैं, कब तक दे दिये जावेंगे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--स्थान विशेष का तो पता नहीं कि किन किन जगहों पर कितनी रकमें बाकी रह गई हैं । लेकिन यह आज्ञा दे दी गई है कि वे अपना एकाउन्ट साथ लावें और जिन जिन के पेमेन्ट बाकी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी दे दिये जावें । जहां तक मेरा खयाल है पिछले १५ दिनों में काफी रुपया करीब १॥ लाख दिया जा चुका है ।

श्री मानसिंह:--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके अलावा ये भी आंकड़े मौजूद हैं कि बोरियों में से नाज निकाल कर उसकी एवज में मिट्टी और कंकड़ भर दिये जाते हैं ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--नहीं, ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य यह बतायेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा ।

श्री मानसिंह:--इतना अनाज सड़ रहा है, अब भी क्या लेवी लेंगे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--लेवी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं ह ।

श्री कपिलदेव:--क्या · · · · ·

माननीय अध्यक्ष:--ओर्डर ओर्डर

## आय-व्ययक की द्वितीय अवस्था

### (क) सामान्य वाद-विवाद

माननीय अध्यक्ष:--अब बजट के सेकन्ड स्टेज पर डिस्कशन्स शुरू होंगे ।

श्री मानसिंह:- अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय बजट पर डिस्कशन्स शुरू हुए थे उस समय आपकी जो आज्ञा हुई थी बजट डिस्कशन्स पर जो लोग कट मोशन्स लाये हैं उन्हें बोलने का समय दिया जायगा। लेकिन मुझे नम्र निवेदन करना है कि न मालूम मेरी आलोचना पसन्द नहीं आई या किस वजह से मेरा कट मोशन होने पर भी मुझे बोलने का मौका न देकर मेरा गला घोट दिया गया। आज भी अगर मुझे बोलने का समय नहीं दिया जाने वाला है तो मैं मेरे घर जाने की तैयारी करूं। दूसरों को बोलने का समय दिया गया है तो मेरे साथ भी न्याय होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष:--जितने भी कट मोशन्स पेश हुए उन पर सारे सदस्य बोल सकते हैं; लेकिन शर्त यह है कि वे खड़े होकर मेरा ध्यान आकर्षित करें। परन्तु जब जवाब देने के लिये माननीय मन्त्री खड़े हो गये थे उस समय माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए और बोलना चाहते थे इसलिये उन्हें समय नहीं दिया गया। आज यदि वे खड़े होंगे और मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो अवश्य उन्हें बोलने का समय दिया जायगा।

(ख) **Grant No. XXVI, Major Head 54—Famine.**

**Hon'ble Shri Mohan Lal Sukhadia.**—Sir, I move that a sum not exceeding Rs. 1,15,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXVI, Major Head 54-Famine.

**Hon'ble Speaker:**—Motion moved that a sum not exceedings, 1,15,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXVI, Major Head 54-Famine.

इस मोशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कट मोशन्स हैं उनके लिये यह समझ लिया जाय कि वे सब मूव हो गये हैं।

. **Shri Khet Singh to move:**—That the demand under the head 'Famine' be reduced by Rs. 100/- (waste of money in relief works.

2. **Shri B.N. Joshi to move:**—That the demand under the head 'Famine relief' be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to make provision for the Construcion of Mui Bund during the Current year by alloting full sanctioned amount.)

3. **Shri Man Singh (Jamwa Ramgarh) to move:**—That the demand under the head 'Famine' be reduced by Rs. 100/- (i.e. to show the bungling of this Department).

**श्री खेतसिंह:**–माननीय अध्यक्ष मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है ।

That the demand under the head "Famine" be reduced by Rs. 100/-(waste of money in relief works).

मेरे इस कटमोशन से सदन यह समझे कि जो सदस्य सदन के प्रारम्भ होने से लेकर आज तक लगातार दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिये लड़ता रहा है वह आज दुर्भिक्ष के खिलाफ रिडक्शन के लिये कट मोशन ला रहा है । यह तो एक सांकेतिक कट मोशन है । मैं इस कटमोशन के द्वारा सदन का ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर आकर्षित करूंगा जिससे सदन यह जानले कि दुर्भिक्ष-पीड़ितों के लिये जो सरकारी इमदाद दी जाती है उस रकम का भी बहुत मर्तबा गबन भी हो जाया करता है तथा इस रकम का अच्छी तरह से उपयोग नहीं होता है । उदाहरण के तौर पर मैं जिस इलाके से आया हूं वह भी एक दुर्भिक्ष पीड़ित इलाका है । मुझे अफशोस है कि माननीय मंत्रीजी अभी जवाब देते हुए यह फरमाया कि सरकार ने किसी भी इलाके को दुर्भिक्ष पीड़ित इलाका घोषित नहीं किया है । सिर्फ उन्हें कमी का इलाका जरूर घोषित किया है जिसमें मारवाड़ डिविजन भी शामिल कर लिया गया है । लेकिन मैं समझता हूं यह शेरगढ़, शिव व जैसलमेर की जनता के साथ अन्याय है । मैं आपके सामने यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि दुर्भिक्ष में जो रकम इमदाद के लिये दी जाती है उसका गबन भी हो जाया करता है । जैसे मेरी तहसील के एक गांव में तालाब की मिट्टी खुदवाने के लिये २०००) रु० सरकार ने मन्जूर किये । इसकी इत्तला उक्त गांव में भी पहुंची तो वहां के लोग रकम उठाने तहसीलदार के पास गये । तहसीलदार साहब ने पहले तो इनकार कर दिया फिर लेकिन साथ ही यह कहा कि शाम को मिलना; मैं देखूंगा । अगर हो सका तो इमदाद भी करूंगा । शाम को मिलने पर तहसीलदार साहब ने फरमाया कि यदि हमारे लिये कुछ हो जाय तो हम रकम दे सकते हैं यदि सरकार की ओर से दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिये धर्मार्थ में इमदाद के लिये जो रकम देती है उसमें भी गबन शुरू हो जाता है तो बाकी कामों का तो क्या ठिकाना; कितना गबन चलता होगा । इसके लिये मेरे पास सबूत मौजूद हैं । यदि सरकार चाहेगी तो समय आने पर मैं उन सबूतों को पेश करूंगा कि ऐसा वाकई हुआ है । आखिर में उक्त गांव के पंचों और तहसीलदार साहब के बीच तय हुआ कि हजार रुपयों के पीछे सौ रुपये उन्हें दिये जायेंगे और इस तरह से २००) रु० देने के बाद उक्त गांव वालों को रकम मिल सकी और वे २०००) रु० में से १८००) रु० लेकर गये और रास्ते में उन्होंने सोचा कि जब तहसीलदार भी ऐसा करते हैं तो हम भी कुछ रुपये इनमें से क्यों न लेलें । और १००) उन्होंने ले लिये । और इस प्रकार कुल १७००) रु० गरीबों के लिये मिले जिसमें से भी मस्टर्र रोल आदि में कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई होगी । यह मैं सिर्फ आलोचना की दृष्टि से नहीं अर्ज कर रहा हुं बल्कि साथ में एक सुझाव पेश कर रहा हूं । अच्छा यह होगा कि इन तहसीलों में एक दो आदमियों को जो इमानदार हों जिन्हें कलेक्टर या एस० डी० ओ० इमानदार समझते हों ऐसे आदमियों को साथ में रख कर रकम

दिलाई जाय तो मैं समझता हूं, गबन नहीं होगा । इसके अलावा गत वर्ष का मेरा निजी अनुभव है उसके आधार पर अर्ज कर रहा हूं कि दुर्भिक्ष को काम में लाने के लिये ठेके नहीं दिये जाने चाहिये । दुर्भिक्ष की रकम के लिये यह गैर वाजिब है क्योंकि ठेकेदारों की नियत में यह रहता है कि इस रकम से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठाया जाय । इसलिये यह देखा गया है कि जो रेट सरकार द्वारा मुकर्रर की गई है उससे कम रेट देने के लिये ये ठेकेदार मजदूरों से अन्डरस्टेन्डिग कर लेते हैं । जो सरकार के कोन्ट्रेक्टरस होते हैं वे लोएस्ट रेट से मुकर्रर किये जाते हैं और जो लोग लोएस्ट रेट देते हैं वे साथ का साथ मजदूरों से भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करने वाले अच्छे और तन्दुरुस्त व्यक्ति उनको मिलें । और वे तन्दुरुस्त और हृष्टपुष्ट व्यक्तियों को ही रखते हैं । मगर यह मानी हुई बात है कि दुर्भिक्ष पड़ता है तो मुसीवत के कारण वे लोग कमजोर हो जाते हैं और हृष्टपुष्ट नहीं रह सकते । इस तरह से वास्तव में जिन अकाल पीड़ित लोगों को मदद मिलनी चाहिये, थी नहीं मिलती है और दूसरों को मिल जाती है । इस प्रकार फेमिन के कामों को कोन्ट्रेक्ट बेसिस पर नहीं दिये जाने चाहिये । साथ में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि लेबर की रेट अवश्य बढ़ाई जानी चाहिये । गत तीन साल से एकही रेट चली आती है । जब धान का भाव घट गया था तो उसके साथ साथ उनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिये । इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने यह भी सुझाव रखूंगा कि जो रकमें अक्सर दी जाती हैं वे तालाबों की मिट्टी निकालने के लिये दी जाती हैं । अच्छा होता ये रकमें कूओं के लिये काम में ली जाती, क्योंकि तालाबों में पानी तभी आता है जब वर्षा होती है । वरना वे तालाब योंही सूखे पड़े रहते हैं । अगर वही रकमें कूओं पर लगाई जाती तो मुमकिन था कि गर्मी में पानी पीने के लिये कूए तैयार हो सकते थे । इसके साथ साथ कोई परमानेन्ट वर्क जैसे सड़कें आदि बनाई जाती तो ज्यादा हित कर होता । इससे सड़कों और आवागमन के साधन सुधर सकते हैं

इसके अलावा में आप से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि शेरगढ, जैसलमेर, सांचोर, शिव आदि ऐसे इलाके हैं जहां अकाल पड़ता रहता है और जिसकी तरफ सरकार को स्पेशल ध्यान देना चाहिये । यह कहा गया है कि पूरे जोधपुर डिविजन के लिये और सब के साथ इन इलाकों को भी लेने से इन इलाकों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा । इसलिये मेरी यह अपील है कि इसकी तरफ कुछ तवज्जुह की जरूरत है और इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । साथ ही तकाबी के लिये इन इलाकों के लिये ज्यादा रकम दी जानी चाहिये ताकि वर्षा में वहां के करसों को ज्यादा फायदा पहुंच सके । इसके अलावा जो बीगोड़ी और लगान का सवाल है यदि उनकी बीगोड़ी इस साल माफ करदी जावे तो मैं समझता हूं कि कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि वहां पर तीन साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है । जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी होती जा रही है कि उनके पास खाने के अलावा कुछ नहीं बचता । यदि इस बात का आप कोई सबूत चाहते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि वहां के लोगों ने गये चार पांच महीनों में

अनाज के साथ पेड़ की छालें मिला कर अपना समय निकाला है । और वहां के पेड़ वहां के साक्षी हैं । ऐसी हालत में मेरा यह सुझाव है कि आप अकाल पीड़ित इलाकों की ओर ध्यान दें और उनको मदद दें । साथ ही इसके, लूट खसोट जो बढ़ी है इसका भी एक कारण भूखमरी है । इसके लिये मेरे पास एक सबूत है । एक केस में एक मुलजिम ने अपने कन्फेशन में कहा कि मैंने लूट खसोट इसलिये की कि मैं भूखों मर रहा था । इसलिये इस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

**श्री विश्मबरनाथ जोशी:**--माननीय अध्यक्ष, में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अपना कटमोशन इस संबन्ध में इसलिये रखा है कि जयपुर डिविजन में बांदीकुई तहसील में मुई नाम का एक बांध हैं जो टूट गया है। इससे उसमें पानी इकट्टा नहीं हो पाता है। इस बांध से आस पास की जमीन में सिचाई होती है। जब यह बांध टूट गया है तो इसमें पानी नहीं रहने से आस पास के जमीन में सिचाई नहीं होती है और इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुक्सान होता है । इसके बारे में इस इलाके के किसानों द्वारा बहुत अर्से से यह महसूस किया जाता रहा है कि इस बांध की खुदाई करा कर इसको अच्छी तरह बंधवाया जाना चाहिये। इस बांध की इस इलाके में अति आवश्यकता है। क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका होने से यहां पर कुए बहुत कम हैं और हैं भी तो उनमें पानी बहुत खुदवाने पर निकलता है। पिछले दो सालों में वर्षा न होने से कुओं में पानी की लेवल बहुत नीचे चली गई है। इन सब बातों के कारण किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। और इसी कारण खेती में नुक्सान हो रहा है और वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी फसलें खराब होती हैं और फसल खराब होने से आम पब्लिक को भी नुक्सान पहुंचता है क्योंकि धान ज्यादा नहीं पैदा होता। इस बांध को ठीक कराने से मेरा ख्याल है करीब पांच या छः हजार एकड़ जमीन में काश्त हो सकेगी । जिससे "अधिक धान पैदा करो" अन्दोलन में बहुत ज्यादा इमदाद मिलेगी और जो जमीन बंजर है वह उपजाऊ बन सकेगी। इस साल के बजट में इस प्रकार के कामों के लिये २,१३,००० रुपया मंजूर किया गया है। में आशा करता हूं कि सरकार दवारा इस साल के बजट में से कुछ रुपया इस बांध के लिये इस करेन्ट इयर में एलोट किया जा सकता है । मैं जानता हूं कि ये २,१३,००० रुपयों का जो बजट है सारे राजस्थान के लिये है और इसको खर्च करने के लिये पहले प्लान बनेगा और जरूरी कामों पर खर्च होगा । मगर मैं यह कहूंगा कि इस बांध का बनना किसानों की बरबादी को रोकने के लिये बहुत जरूरी है । इसका पानी पहले भी सिंचाई के काम में आता था और आस पास की जमीन की सिंचाई हुआ करती थी । इसलिये सरकार इस पर ध्यान दे। मैं छोटी मोटी बातों पर बोलना पसन्द नहीं करता हूं। मैं तो बड़ी बड़ी बातों पर बोलना चाहता था लेकिन इस मामले में मैंने यह देखा कि ऐसा न हो कि वगैर बोले कहीं नोइंगली या अन् नोइंगली प्लान बनते समय इस बन्ध को न लिया जाए। इसलिए इस पर प्रकाश डाला है। जब मैंने देखा कि जो ग्रान्ट है उसमें ६॥ लाख में से ४॥ लाख रुपया करेन्ट साल के लिये एलोट किया गया है दूसरा तीन लाख का है उसमें २॥ लाख एलोट किया गया है । फिर भी दो

लाख १३ हजार की जो ग्रान्ट है उसमें से इस बान्ध के लिए रुपया निकाला जाना अति आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि २,१३००० में से करीब १।। लाख इस साल इस बन्ध के लिये एलोट किया जाए जिससे यहां ५, ७ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। एक लाख का करेन्ट साल में एलोट होना ही चाहिये।

श्री मानसिंह ( जमवा रामगढ ):--माननीय अध्यक्षजी, अकाल के बारे में मुझे बहुत ज्यादा तो इस सदन के सामन नहीं कहना है लेकिन कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण पेश करने हैं। मैंने इस मामले में यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। पहली चीज जो मैं बता देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे बजट में अकाल क ऐसे आइटम हैं जिनको देखने से मालूम होता है कि आहा कितना अच्छा है ! अकाल के लिए करोड़ों रुपया हमारी सरकार खर्च कर रही है ? लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पडता है कि यह रुपया जो खर्च किया जा रहा है वह बिल्कुल बेकार खर्च किया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हाउस के सामने रख रहा हूं। यहां जयपुर के अन्दर जो अकाल राहत समिति की तरफ से जो घास ३।। रु० मन में बेचा जाता है उसे मैं अपने साथ ले आया हूं। अध्यक्षजी, मैं इस घास को आज सुबह ही लेकर आया हूं जो कि अकाल राहत समिति की तरफ से बेचा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता था कि कुछ मेरे साथी यह कहेंगे कि यह घास घर से ले आया होगा, तो मैं आज सुबह ६।। बजे उठकर और वहां से घास लेकर आया हूं। इस विभाग का सैकडों मन घास पड़ा हुआ है और उसे बेचा जा रहा है, उसे मैं आपको दिखलादूं।

माननीय अध्यक्ष:-इसको टेबल पर रख दीजिए।

श्री मानसिंह:--तो मैं अध्यक्षजी आपके जरिए, जो मंत्री महोदय हैं उनसे बड़ी नम्रता से प्रार्थना करूंगा कि बाहर का तो आप क्या इंतजाम करेंगे लेकिन जयपुर में तो इस प्रकार की बातों का जरूर ध्यान रखें। यह जो घास सदन में रखा हुआ है यह गायों के चरने के काम में नहीं आसकता है: यह जला हुआ घास है। लेकिन कुछ सरकार के पिटटुओं के पास यह घास भरा हुआ पड़ा था, और फिर सरकार की इच्छा थी कि उनको किसी तरह से सहायता दी जाय इसलिये यह घास खरीदा गया है। और इसीलिए यह फैमिन रीलिफ डिपार्टमेन्ट खोला गया है। तो अध्यक्ष महोदय इसके अलावा मैं आपके जरिए इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस मद में जितना भी पैसा आज से पहले खर्च हुआ है वह रुपया सिवाय पार्टी प्रोपेगेंडा के दूसरे किसी काम में नहीं आया। अध्यक्षजी, मेरे अन्दर यह खराब आदत है जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वह टेढी मेढी करके नहीं रखता, साफ साफ तौर पर रख देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के मेरे पास हजारों उदाहरण हैं और अगर मेरे आनरेबल मिनिस्टर वाकई में इस पर एक्शन लेना चाहेंगे और मुझ से इस बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकूंगा कि इनसे पहले जो फैमिन रीलिफ के मंत्री ने किस प्रकार की कार्यवाहियां की है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूसरा रखूंगा वह है बूंदी जिले का। मैं इस सदन को आपके जरिए यह बतला देना चाहता हूं कि बूंदी जिले में जो अकाल

के लिए सहायता वगैरा जो की जा रही है उस सिलसिले में कलेक्टर और कमिश्नर से यह पूछा गया था कि किन २ को सहायता दी जानी चाहिए। तो बूंदी जिले में दो बड़ी फार्म हैं, एक है आदर्श फार्म और एक है रामनगर एग्रीकल्चर फार्म। वहां के कलेक्टर महोदय ने इन दोनों फार्मों के लिए मदद देने की सिफारिश की। वह बड़ी २ फार्म्स हैं और उन्हें काफी रुपयों की मदद देने की सिफारिश की। थी लेकिन आपके जरिए श्रीमान अध्यक्षजी, मुझे बड़े दुख के साथ इस सदन को यह सूचना देनी पड़ती है कि उस फार्म में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इस सदन के इस पक्ष का समर्थन करने वाले थे। उनको तो एक पाई भी मदद की नहीं दी गई और दूसरी तरफ एक फार्म के आदमी जो उस पक्ष का समर्थन करने वाला था उनको १०,००० रुपये की मदद दी गई। सम्बन्धित मंत्री महोदय इसकी जांच कर सकते हैं। यह फार्म जो रामनगर एग्रीकल्चर फार्म है उसके एक कार्य कर्ता मेरी जानकारी में इस सदन के सदस्य भी हैं उन्हें हमारे पूर्व वित मंत्री श्रीबृजसुन्दरजी शर्मा जो चुनाव में खड़े हुए थे...... (विचार जारी)

माननीय अध्यक्ष:--It is unpartimentary to call a person by name who is not on the floor of the house.

श्री मानसिंह:—अध्यक्षजी, जो पूर्व वित्त मंत्री थे उन्होंने उनकी काफी मदद की इसलिए उन्हें वह १०,००० हजार रूपये की रकम मिली और दूसरी जो फार्म थी उसने इनकी मदद नहीं की, और हमारे इस पक्ष की मदद की इसलिए उसको ६०,००० रुपये की रिकमन्डेशन होते हुए भी एक पाई भी नहीं दी गई। तो में आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि यह जो फेमिन रिलीफ के नाम पर खर्च किया जाता है वह दलबन्दी के रूप में नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैं यह बता देना चाहता हूं कि छोटी २ तकावियों के बारे में, छोटे २ तालाब खोदने के लिये तकाबियां दीं तो इस बारे में मेरे पास हजारों प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं और अगर इसको चाहें गया तो मैं हजारों नहीं लाखों की तादाद में उदारहा दूंगा कि हमारे दोस्तों ने जहां कहीं भी जाकर सिफारिश की है तो वह सिफारिश हजारों गुना वाजिब होने पर भी रद्द कर दी गई और दूसरे पक्ष के सिफारिश पर केवल सेर सेर, दो दो सेर मिट्टी खोदने के लिए हजारों की तकाबी दे दी गई। तो मैं आपके जरिए अध्यक्षजी, इस सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो फेमिन रिलीफ का कार्य चलाया जाय यह पार्टीबाजी से नहीं होकर इसे ऊपर उठकर होना चाहिए। यह कोई किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। मैं इस सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि अब बहुत जल्दी पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव आ रहे हैं तो यह जितना भी रुपया हमसे तो मांगा जा रहा है मैं आशा करूंगा कि हमारे आनरेबल मिनिस्टर इन चीजों को ध्यान में न रखकर वाकई में एक आदर्श उपस्थित करेंगे; वाकई में जो हकदार होंगे उनको यह रुपया दिया जायगा; न कि कोई खास पोशाक पहनने पर ही यह रुपया दिया जायगा। तो मेरा यह जो कटौती का प्रस्ताव है वह इस सदन को यह दिखलाने के लिए है कि इस प्रकार जो का पक्षपात हो रहा है। इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर इस प्रकार की अन्धेरगर्दी है कि जयपुर शहर के अन्दर ही ऐसा घास ३॥ रूपये मन बेचा जा रहा है और इसीलिये मैंने यह कटौती का

प्रस्ताव रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी ऑनरेबल मिनिस्टर इस जगह पर होंगे वे जल्दी से जल्दी इस प्रकार की ठीक व्यवस्था करेंगे और हमारी जो इस प्रकार की पक्षपात करने की वाजिब शिकायत होगी, उन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

श्री बेलजी:—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी बजट में खर्च की मांग के बारे में दोनों ही दल, सरकारी तथा विरोधी, तर्फ बहस कर रहे हैं। मेरे विचार में यही खर्च की मांग जो जनता की भलाई के लिए है अथवा जो बहुत ही जरूरी है, हम लोगों के द्वारा मंजूर की जानी चाहिये। मैं अधिकार पूर्वक नम्रता से यह अर्ज करूंगा कि सरकारी रुपया चार आने से कम कीमत में गया है यानी सरकार ने सौ रुपये खर्च किए हैं तो पच्चीस रुपये का फायदा भी भूखी और नंगी जनता को नहीं मिला।........

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय सदस्य को किसी खास हालत में स्पीच पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है ।

**Shri InderNath Modi:**—On the point of procedure, Sir, I have no desire to show any doubt on the ruling regarding reading of speech by my Hon'ble friend. The position, however, requires clarification. So far as I understand Rule 67 of the Rules of Procedure says that a private member may not read his speech but may refresh his memory by reference to notes. Now this does not, so far as I can see, contain any provision as regards reading of speches by a private member even with the previous permission of the Hon'ble Speaker. I desire that the whole position may be clarified so that we may know where we actually stand.

**Hon'ble Shri Tikaram Paliwal:** The word 'May', Sir, implies the discretion of the Speaker and I think there is nothing wrong with the Speaker allowing a member to read his speech. It is absolutely on the discretion of the Chair.

**Shri Hari Dutt:**—I think that the members can read their speeches with the permission of the Chair. This sort of procedure is also laid down in Parliamentary procedure. There is a provision of this type. I think such permission can be obtained from the Chair.

**Shri Inder Nath Modi:**—So far as the instructions quoted by my Hon'ble friend are concerned. I do not think they have any bearing on the rules referred to. Perhaps those instructions were issued before the Rules were made available to us. Now so far as the Hon'ble Chief Minister's interpretation of this Rule is concerned, I do not say necessarily that he is wrong. But at

the same time I would like to tell him that word 'May'. sometimes means 'Must'. In any case my humble submission is that we must know what will be the position in the House. Simply I wanted to draw the attention of the House and seek authoritative clarification.

माननीय अध्यक्ष:--जहां तक लिखित स्पीच का संबन्ध है वहां तक इस सदन के माननीय सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे धाराप्रवाह रूप में अपना भाषण दें। हमें यहां परम्परायें कायम करनी हैं उनको अपनी वक्तृत्वकला द्वारा सदन के सामने रखें। लिखित भाषण के विषय में मैं किसी सदस्य से कुछ नहीं कहना चाहता। लिखित स्पीच में यह बात आ जाती है कि उसमें इस सदन के सदस्यों को यह संदेह पैदा हो सकता है कि वे माननीय सदस्य के विचार हैं या नहीं। दूसरा, धारा ६७ की ओर जो ध्यान आकर्षित किया गया है उस सम्बध में मैं माननीय सदस्यों का धारा ७७ ए. की ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें रिजर्व प्रीविज़ो है। वह कहता है "All matters not specially provided in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the speaker may from time to time direct." जैसा कि इसकी भाषा से स्पष्ट है कि जो माननीय सदस्य सरकारी सदस्यों के अलावा जो भी लिखित भाषण देना चाहें उसके लिए मेरी आज्ञा प्राप्त कर लें। इस के बाद वे भाषण दे सकते हैं।

श्री अवनिकुमार:--सरकारी सदस्य से आपका क्या मतलब है?

माननीय अध्यक्ष:—दी मेंबर्स ऑफ दी गवर्नमेन्ट।

I think Rule No. 77-A clarifies the position that all matters not specially provided in these Rules and all questions relating to the detailed working of these Rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct.

SHRI INDER NATH MODI There is a laughing doubt in my mind so far as Rule No,77-A is concerned. It says that all matters not specially provided in the Rules shall be regulated by the Speaker; but there is mention in Rule No,67 that a private member may not read his speech, I only want a clarification, It is no desire to question your Ruling. That being so my humble submission is that it is a question for your consideration whether residuary powers do come or not.

HON'BLE SPEAKER—So for as the question of obtaining permission is concerned, it comes.

(श्री बेलजी की ओर संकेत करते हुए) आप आगे पढ़िये।

**श्री बेलजी:**—अध्यक्ष महोदय मैं माफी चाहता हूं कि आज मुझे मेरे माननीय सदस्यों के सामने यह बात खुली रखनी पड़ रही है कि यही हालत राजस्थान के सभी जिलों की है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यदि यही हालत रही और सरकार ने जल्दी से जल्दी कदम नहीं उठाया तो, भारत के अन्य भागों के विषय में तो नहीं कह सकता लेकिन राजस्थान में तो साम्यवाद जरूर आ जाएगा। जिस राज्य में सेवा, त्याग और बलिदान की भावना नहीं है, बल्कि बंगले, मोटर व ऐयाश की चीजों की जरूरत हो वह राज्य की तरक्की कैसे करेगा ? यह हमारा और माननीय सदस्यों का दुर्भाग्य है कि सरकारी मदों का पैसा राजनीति दल को मजबूत बनाने में खर्च किया जाता है। बांसवाड़े में अकाल में काम खोलने के लिए सरकार ने कुछ रुपयों की मंजूरी दी। आपको मालूम है कि बांसवाड़े जिले में से तीन उम्मीदवार सफल हुए जिनमें से मैं समाजवादी और दो कांग्रेसी आए। सरकार द्वारा दिया गया रुपया काफी मात्रा में कांग्रेसी उम्मीदवारों के चुनाव में खर्च किया गया और मेरे क्षेत्र में जहां भोली जनता भूखों मर रही है, अपने ढोर बेच रही है, घर-बार छोड़ कर भाग रही है और जंगल की पत्तियों को खा कर गुजारा कर रही है, राजस्थान छोड़ कर मालवा में जाने की तैयारी कर रही है। उस भूखी और नंगी जनता में सरकार ने रुपये में १० टका खर्च नहीं किया क्योंकि मैं समजवादी हूं। जांच से इस सच्चाई का पता लगेगा कि सरकारी पैसे से कांग्रेस की संस्था में स्कूलें चल रही हैं और जाली बिलों से सरकार से रुपए लिए जाते हैं; कोई चन्दा नहीं किया जाता है। कांग्रेस के चुनाव क्षेत्रों में ही सरकारी स्कूलें खोली जाती हैं या मदद की जाती है। राजनीतिक गुटबन्दी के कारण बांसवाड़ा चुनाव क्षेत्र में मेरे विजयी होने के कारण वहां की शिक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, कालेज में सांइन्स विषय नहीं बढ़ाए गए, होस्टल नहीं बनवाया गया। कहां तक अर्ज करूं ? मेरे मित्रों, मेरे दिल में आग लगी हुई है। राजस्थान के टुकड़े-टुकड़े को जिन महापुरूषों ने एक बनाया उसको कांग्रेस सरकार अपनी गलत नीति से फिर टुकड़े टुकड़े करने पर कमर कस कर बैठी हुई है। मेरे लायक दोस्तो, मैं अध्यक्ष महोदय के मारफत आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इस सरकार की नीति बांसवाड़ा को रेगिस्थान बनाने की है। बांसवाड़ा सरकार ने सन ४८ में चन्द्र-सागर योजना के लिए पांच लाख रुपए दिए। डेढ़ लाख रूपए की मशीनरी मंगाने का दिया हुआ था वह रुपया राजस्थान सरकार ने वापस ले लिया जो ७५ हजार रुपये खर्च किए वह बेकार गए। सरकार यह कहती है कि यह योजना काम की नहीं है। मेरे दोस्तो सोचो कि यह स्कीम फरगुसन जैसे बड़े एन्जीनर ने बनाई थी। इसके बाद से बांसवाड़े की जनता को पानी मिलना और बिजली मिलना और हजारों एकड़ जमीन को सिचाई होती तो मेरे दोस्तों माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि यह योजना गलत है, काम में नहीं लाई जा सकती है; यह क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मैं समाजवादी हू कांग्रेसी नहीं हूं। अलावा इसके बांसवाड़े जिले की नेतागिरी और उसका साथ नहीं मिलता और ऊंचे पद के सपने अभी तक आ रहे है। मेरे लायक दोस्तों तकावी बांटने में भी इसी तरह का पक्षपात किया गया। मेरे क्षेत्र के गरीब किसान रोटी और रोजी के लिए भटकते हैं। रोजी, रोटी या तकावी मांगने पर जेल या फांसी की बात की जाती है और धक्के मार कर बाहर निकाल दिए जाते हैं। यदि यह -

अत्याचार और यह जुल्म जारी रहे और गरीब भोली जनता की किसी ने नहीं सुनी, चन्द्रसागर योजना के द्वारा शहरी और ग्रामीण जनता की रोटी और रोजी का सवाल हल नही किया, भूखी और नंगी जनता को तकावी और काम देने में पक्षपात किया गया तो थोड़े ही दिनों में वहां की जो हालत होगी उसका अन्दाजा आप खुद लगा सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार को हमें और आपको उस बिगड़ी हुई हालत को सुधारने में एडी और चोटी का पसीना बहाने पर भी सफलता न मिले।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की मांग के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव व ऐतराज इस सदन के समक्ष रखे। एक माननीय सदस्य काफी मेहनत करके आज सुबह यहां पर नमूने के तौर पर घास भी लाये। वे अकाल पीड़ितों की सेवा का कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिये काफी चिन्तनीय हैं। यहां मुझे उनकी इस मेहनत को देखकर पूरा भरोसा हो गया है। इस के साथ ही उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार का घास उनको लाभ पहुंचाने के लिये कुछ व्यक्तियों से खरीदा गया। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घास सरकार द्वारा खरीदा गया है वह या तो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का है या भारत सरकार द्वारा या यू.पी. सरकार से सीधा लिया गया है। यह किन्हो परिचितों से या प्राइवेट पार्टियों से नहीं लिया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ जानकारी उनको कहीं से प्राप्त हुई होगी जिसके आधार पर उन्होंने जानकारी के लिये यह प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ घास यू.पी. से आया है। उसमें कहीं वर्षा में खुला रह जाने से नुक्स रह गया हैं। वहीं से इस किस्म का घास आया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि घास इन्फीरियर क्वालिटि का है। जितनी मांग पहले थी उतना मंगा लिया गया था। बाद में जब मालूम पड़ा कि यह घास खराब है तो आदमी भेजकर उसका आना रुकवा दिया गया। लेकिन जो घूस ली गई और यह बात कही गई कि अकाल सेवा समिति वाले इस प्रकार की गड़बड़ी और बेईमानी करते हैं तो इस संबंध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अकाल सेवा समिति और सरकार दो विभिन्न चीजें हैं। अकाल सेवा समिति जो कार्य करती है वह सरकारी काम पर नहीं है। वह समिति सेवा के लिये बनी हुई है। सरकार कुछ कार्यों में उसकी सलाह और सहयोग लेती है, इसलिये इसके द्वारा जो कोई कार्य होता है उसके बारे में यह समझना कि उस कार्य के लिये सरकार जिम्मेदार है, उचित न होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह अकाल सेवा समिति के प्रति अन्याय होगा यदि उनकी सेवाओं की प्रशंसा नहीं करेंगे। क्योंकि अकाल सेवा समिति ने राजस्थान में कई क्षेत्रों में महत्व पूर्ण एवं प्रशंसनीय कार्य किया है। सदन के सम्मुख एक माननीय सदस्य ने इस बात को रखा कि शेरगढ़ में जो दो हजार रुपयों का दान दिया गया था उसमें तहसीलदार ने कहा कि जब तक २००) रु० नहीं दिये जायेंगे तब तक वे रुपये नहीं दिये जायेंगे और उसके बाद २००) रु० पहुचने के बाद उसने रुपये दिये। मैं इस सदन को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दृढ़ता पूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी निश्चित बात माननीय सदस्य ने रखी है मैं आज ही उस के खिलाफ इन्क्वायरी बिठाऊंगा और सरकार उस तहसीलदार को सख्त सजा दिलाने के लिये तत्पर रहेगी। राजस्थान के अन्दर इस तरह का अकाल

है और जो रकमें हम खर्च कर रहे हैं में समझ नहीं सकता कि वे एसी बड़ी बड़ी रकमें है जिसके लिये माननीय सदस्य कहें कि करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा हैं। अकाल की एक मुसीबत राजस्थान में अनायास आई है। उसको किस तरह से पूरा करें? केवल इतना कहा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे बडा अकाल में समझता हूं जो सबके सामने है वह जोधपुर महाराजा उम्मैदसिंह के समय सम्वत १९९६ के समय था और कहा जाता है कि जो कार्य उस वक्त किया गया उसके मुकाबले में जो कार्य राजस्थान सरकार कर रही है बिल्कुल छोटा है। इसको इनकार नहीं किया गया। मगर में यह कहूंगा कि जिन साहबान ने यह कहा कि अकाल के सम्बन्ध में बिल्कुल ही कुछ नहीं किया गया यह उनका कहना वाजिब नहीं है। यह सही नहीं है कि किसी इलाकों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कुछ नहीं हुआ। यदि सरकार कहीं कुछ नहीं कर सकी तो वहां की परिस्थिति दूसरी होनी चाहिये। उनका यह कहना कि अभी तक कभी भी कोई रिलीफ का काम नहीं हुआ, ठीक नहीं है। में कहूंगा कि वहां कार्य किया गया है, किया जा रहा है। और मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है जब कि वे यह कहें कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। लिखी हुई स्पीच दरअसल उनकी भावनाओं की है या और किसी की है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे यह आश्चर्य होता है जब वे यह कहते हैं कि उसमें अब तक कोई काम नहीं हुआ। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां का कुल बजट ६-७ लाख का रहा है वहां पर आज पूरे बांसवाडा में वहां की रियासत की आमदनी से डेढ गुना रुपया ज्यादा खर्च किया जा रहा है। यह इसलिये कि वहां कि स्थिति खराब है। जिन लोगों ने देखा है वे इस बात को मानते हैं कि मेरे कार्य संभालने के बाद में सबसे पहले में बांसवाडा में इसलिये गया कि वहां की स्थिति खराब थी। लोगों में परचेजिंग पोवर की कमी होने से हम किसी तरह से उनकी मदद करना चाहते थे। इसके अलावा सरकार अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। मुझे इसलिये आश्चर्य हुआ कि पढ़ी गई स्पीच में उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। शेरगढ में भी हम कर रहे हैं और आगे भी जल्दी से जल्दी करेंगे। में शेरगढ या किसी इलाके विशेष की बात नहीं कहता। जहां जहां स्थिति इस बात की मांग करेगी, जहां तक हो सकेगा, हम काम खोलेंगे। जितने हमारे पास आंकड़े हैं उनको देखते हुए पैसा रख दिया जावेगा। इसके अलावा जो भी वे सुझाव यहां या दूसरी जगह भी देंगे हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री बेलजी:--मैंने देखा है, बासवाड़ा डिविजन में लोग बिल्कुल भूखों मर रहे हैं; दाने दाने के लिये त्राहि त्राहि कर रहे है।

माननीय मोहनलाल सुखाडिया:--में यह अर्ज कर रहा हूं कि बांसवाड़ा जिले में काम हो रहा है। इस संबन्ध में माननीय सदस्य के जानकारी की कमी रही है। इस बात को बताया जा सकता है कि बांसवाड़ा तहसील में काफी काम खोले गये है। जहां तक तकाबी का सवाल है और यह कहना है कि भीलों को तकाबी नहीं मिली में यह कहता हुं कि तकाबी के लिये रुपये दिये गये और भीलों पर भी खर्च करने के लिये रुपये दिये गये थे। मैं यह कहूंगा

कि लोगों को तकावी दी गई और इसके लिये ३८ लाख रुपये फेमिन डिपार्टमेन्ट की तरफ से अलग अलग जगहों पर खर्च किया गया है ।

एक सदस्य ने यह ऐतराज उठाया कि तालाबों की मिट्टी निकालने के बजाय कूओं का काम शुरू करें तो ज्यादा अच्छा हो। कूओं का काम इसलिये नहीं करते कि कुछ व्यक्ति ही इस पर काम कर सकते हैं। जहां तक रिलीफ के लिये ज्यादा से ज्यादा आदमियों को काम पर लगाने का सवाल है तालाबों पर और ऐसी सड़कों पर, जो बड़ी होती हैं और उसमें अधिक आदमियों को काम पर लगाया जा सकता है, काम खोले जाते हैं। कूओं के काम के लिये तकावी देते है और सड़कें आदि इस प्रकार के काम शुरू किये जाते हैं। फेमिन डिपार्टमेन्ट की तरफ से अकाल के बारे में जितने भी काम शुरू किये गये जाते हैं कोई भी काम कोन्ट्रेक्ट पर नहीं दिया गया; सब के सब डेली वेजेज पर दिये जाते हैं। इसके अलावा यह कहा गया कि अनाज का भाव यहां सस्ता हो गया है इसलिये मजदूरों का वेतन बढाया जाना चाहिये। मैं यह अर्ज करूंगा कि अनाज के भाव और अकाल से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वे एक दूसरे से रिलेटेड (सम्बन्धित) नहीं हैं। भाव सस्ता हो गया है तो रेट बढ़ाई नहीं जा सकती है। वह तो कम होनी चाहिये। एक कटौती प्रस्ताव में मुई बन्ध के बनाने की एक आवश्यक चीज रखी गई। यह चीज अकाल से संबन्धित नहीं है, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखती है। मैं खुद इस बात को पहले नहीं समझ सका। जब जानकारी हासिल की तो मालूम हुआ कि उसका फेमिन से कोई ताल्लुक नहीं है ।

एक सदस्य ने लाखों और हजारों ऐसी मिसालें देने की चर्चा की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हजारों और लाखों मिसालों की कोई आवश्यकता नहीं एक भी एक्जेम्पल हमारे सामने ऐसी नहीं आई जिस पर निश्चित तौर से कार्यवाही की जासके। इस लिये मुझे........

श्री मानसिंह:--ओन दी पोइन्ट आफ इन्फोरमेशन सर, दो बराबरी के फार्म हैं, एक फार्म वाले को दस हजार रुपया सरकार ने दिया और दुसरे को नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इस पक्ष के समर्थन करने के नाते उसको यह रुपया नहीं दिया गया। वह मेम्बर इस सदन में भी बैठे हैं। ऐसी मेरी इन्फोरमेंशन है।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया-मैं इसकी जानकारी अवश्य करूंगा; जिन कारणों से ऐसी बात हुई। आगे के लिये भी, जैसा कि सदस्य ने कहा था कि पूरा साथ देना चाहते हैं, देंगे तो इस विभाग के कार्य को ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से चलाया जावेगा। मैं समझता हूं कि इस विषय पर अधिक कह कर सदन का समय लेने की जरूरत नहीं। यह कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री खेतसिंह:--माननीय अध्यक्ष, क्योंकि माननीय मंत्रीजी ने इस विषय में आश्वासन दिया है उसको देखते हुए मैं अपना कट मोशन नम्बर १ वापिस

लेने की मंजूरी चाहता हूं और साथ ही में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि धान सस्ता होकर वैजेज कम होती है यह मेरी मंशा नहीं थी यह मैंने नहीं कहा और यदि गलती से कह दिया तो मेरी यह मंशा नहीं थी। वहां धान का भाव सस्ता नहीं है। साथ में मैं तहसीलदार के बारे में साफ कर देना चाहता हूं कि यह बात इस वर्ष की नहीं है। मौजूदा तहसीलदार से पहले तहसीलदार था उसकी इस संबन्ध मैं इनक्वायरी हो गई और बाद में उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया। मैंने यह एक्सपैनेशन इसलिये दिया कि कहीं ऐंसा न हो कि मौजूदा तहसीलदार बेचारा खामोख्वाह मारा जाए।

**माननीय अध्यक्ष:**—सदन के सामने प्रश्न यह प्रस्तुत है कि निम्न लिखित प्रस्ताब वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

That the Demand under the head famine be reduced by Rs. 100/- (waste of money in relief works).

(वपिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

**श्री खेतसिंह:**--मैं अपना प्रस्ताव सदन की आज्ञा से वापिस लेता हूं।

**श्री बी. एन. जोशी:**--माननीय अध्यक्ष मैं भी अपना कटमोशन नम्बर २ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:**--सदन के सामने यह प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्न लिखित प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय:–

That the demand under the head "Famine Relief" be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government, to make provision for the Construction of Mui Bund during the Current year by allotting full Sanctioned amount.)

(वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

**श्री बी. एन. जोशी**--:मैं अपना प्रस्ताव सदन की आज्ञा से वापिस लेता हूं।

**श्री मानसिंह:**-- (जमवा रामगढ) मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ३ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:**--सदन के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत है कि निम्न लिखित प्रस्ताव वापिस लेने की प्रदान की जाए:–

That the demand under the head 'Famine' be reduced by Rs. 100/- ( i. e. to Show the bungling of the Department).

(वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री मानसिंह:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव सदन की आज्ञा से वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:--अब सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है:-

"That a sum not exceeding Rs. 1,15,00,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XXVI, Major Head 54, Famine."

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

माननीय अध्यक्ष:--ये मांगे मंजूर की जाती है।

चीअर्स

(ग) **Grant No. XV, Major Head 37--Education.**

**Hon'ble Shri Nathu Ram Mirdha**—Sir, I move that a sum not exceeding Rs. 2,50,00,000 be granted to H. H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of grant No. XV, Major Head 37— Education.

**Hon'ble Speaker** — Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 2,50,00,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st. day of March, 1953, in respect of Grant No XV, Major Head 37—Education."

( विराम)

माननीय अध्यक्ष:--इस प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्न लिखित १० कटौती के प्रस्ताव हैं और जैसा कि अब तक हुआ है उनके अनुसार १० प्रस्तावों को यह समझ लें कि यह सदन के सामने पुरस्थापित हो गये। चूंकि समय बहुत कम है और साढ़े बारह बजे बाद यह बन्द हो जायगा इस लिये जो सदस्य इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलना आवश्यक समझें वही बोलें और जब फाइनेन्स बिल या एप्रोप्रियेशन बिल आये तब उस पर बोल लें ?

**Shri Gopilal Yadav to move**:—That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 ( to discuss the need of funds for backward classes and rural areas and the absence of upto date and improved method of education of children)

2 **Shri B. M. Joshi to move**:—That the demand under the head 'Education' be reduced dy Re. 1 ( to discuss the failure

of the Govt. to take necessary steps to bring education in harmony with the needs of a changed society)

3. **Shri Damodarlal Vyas to move**--That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 ( to discuss the meagre salaries paid to the Primary School Teachers and Government's negligence towards the spread of Primary Education in the rural areas of the States).

4. **Shri Damodarlal Vyas to move:**—That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 ( to draw the attention of the Govt. in not raising the present High School at Tonk to the standard of an Intermediate Institution. )

5 **Shri Damodarlal Vyas to move:**—That the demand under the head 'Education reduced by Re. 1 ( to draw the attention of the Govt. to the facts that great inconvenience is caused to the Girls students of the Girls School at Tonk for want of Stat to nveyance for going to the School and back home )

6. **Shri Tejmal Bapna to move:**—That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 ( to discuss that the department has failed to provide even roofing of Bhilwara Maharana College Building for the last 3 years when all the materials required are collected already. )

7. **Shri Kapil Deo to move:**—That the demand under the head 'Education General' be reduced by Re. 1 ( to discuss failure of the Government in up--ooting corruption in the department).

8. **Shri Jaswant Singh to move:**—That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 ( to discuss the question of Education in Rajasthan. )

9. **Shri Mansingh from Jamwa Ramgarh to move:**—That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 ( i e. to discuss mismanagement in the Department. )

10. **Shri Ramdayal to move:**—That the demand under the head 'Education' be reduced by Re. 1 (to discuss that the department has failed to construct a hostel building for Jahazpur High School in Bhilwara District. )

**श्री जसवन्तसिंह:**—श्रीमान् अध्यक्षजी, शिक्षा विभाग के मुतल्लिक मैंने एक कटमोशन पेशकिया है जिस पर मैं २–४ शब्द इस सदन के सामने कहना

चाहता हूं । सबसे पहले शिक्षा विभाग के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको मैं सन्तोषजनक नहीं समझता । जो मेरी आवाज है, जो जनता की आवाज है वह मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । यह सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि पुरानी राजधानियों की उन्नति का सवाल उनके मद्देनजर है और हमेशा उन पर ध्यान रखेंगे, और इस ख्याल से कई हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स और उनके आफिसेज अलग २ राजधानियों में भेजे गये हैं । इसी तरह से बीकानेर में शिक्षा विभाग का हैड क्वार्टर रखा गया है । पहले वहां पर डायरेक्टर आफ एज्युकेशन और उनके अफसर बीकानेर में मौजूद थे मगर किन्हीं कारणों से डायरेक्टर का आफिस वहां से जयपुर ले आया गया है और नाम मात्र के लिए यह कहने को कि एक महकमा बीकानेर में है, बाकी के डिप्टी डायरेक्टर आफ एज्युकेशन बीकानेर में रखे गये हैं। अभी जो व्यवस्था है उसको मैं बहुत असंतोषजनक समझता हूं। क्योंकि वहां पर जो २--३ डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको हरेक को जयपुर लाया गया है । बीकानेर में रहने वाला तो बीकानेर का काम बदुरुस्त देख सकता है। मगर यह देखा जाय कि उदयपुर का भी डिप्टी डायरेक्टर जोधपुर में बैठे हुए या बीकानेर में बैठे हुए देख सकता है तो मैं तो समझता हूं कि यह व्यवस्था अच्छी नहीं है । उनको थोड़े २ झगड़ों को निपटाने के लिए उदयपुर जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है । उसका सारा समय तो उसी में लग जाता है और इससे इधर उधर जाने में राज का काफी रुपया बेकार जाता है । जब अधिकारी इधर उधर चले जाते हैं तो काम का भी सफाया हो जाता है । इसलिए अगर इस व्यवस्था को सुधारना है और जनता को कुछ आराम देना है तो आपको इसकी ठीक व्यवस्था करनी होगी । जब कि डायरेक्टर ओफ एज्युकेशन का हैड क्वार्टर जैसे पहले था बीकानेर में होना चाहिए और बीकानेर के डिप्टी डायरेटर की जगह है उसमें वह रह सकता है । मगर बाकी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको अलग २ डिविजन में भेजा जाय, उनके अलग २ हैड क्वार्टर रखे जायं--तभी व्यवस्था ठीक रह सकेगी और तभी एज्युकेशन की इन्स्टीट्युशन्स का निरीक्षण और उनके कार्यों की जांच भी ठीक तरह से हो सकती है । तो मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर ठीक व्यवस्था बैठायें जिससे सरकार का भी काफी रुपया बच सके और जनता को फायदा हो ।

इस डिपार्टमेंट के लिए दो चार बातें कहकर अब मैं शिक्षा के मुत्तल्लिक भी थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं । जब कभी कोई कॉलेज खोला जाता है या स्कूल खोली जाती है या हाई स्कूल खोली जाती है तो कुछ ऐसी स्थिति को सामने रखा जाता है कि उनकी क्या जरूरत है और किन कारणों से यह संस्थाएं खोली जाती हैं । पिछले साल यानि ५१--५२ में यहां, जहां तक मेरा ख्याल है ७ इंटरमीजियेट कॉलेज खोले गये थे । मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता किन्तु थोड़ी बहुत जो जानकारी रखता हूं उसके अनुसार मेरा निवेदन है कि कोई कॉलेज खोला जाय तो पहले यह देख लिया जाय कि दूसरा इंटरमीजियेट कॉलेज उससे कितनी दूर है । इसके अलावा हाई स्कूल

पास में पड़ती है या नहीं; ताकि वहां पर आने वाले लड़कों को कठिनाई न हो, और रुपये का भी ठीक उपयोग हो सके । यह देखना भी जरूरी है कि पास में कोई स्कूल है कि नहीं; जहां से कि विद्यार्थी इन्टरमीजियेट कॉलेज में पढ़ने के लिए आ सकते हों । दूसरी बात जो देखनी जरूरी है वह यह है कि १० वीं क्लास के पिछले साल में कितने केन्द्र खोले गये । १० कॉलेज जो १९५१-'५२ में खोले गये हैं तो यह जानना जरूरी है कि '५१ के अप्रेल महीने में उनके पास के हाई स्कूलों में कितने विद्यार्थी थे । अगर यह तीन बातें मद्देनजर रखकर यह कॉलेज खोले जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अच्छी बात होती । यदि माननीय मंत्रीजी आंकड़े दिखावें तो सिवाय एक भीलवाड़े के और किसी भी जगह कॉलेज खोले जाने की जरूरत नहीं थी । क्योंकि जब इन्टर कॉलेज खोला जाता है तो कम से कम २० हजार रुपये की लागत लगती है । बाद में अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते ४० हजार तक पहुंच जाती है । इसलिये अगर इन चीजों को ध्यान में रख कर कॉलेज खोला जाता तो भीलवाडा के सिवाय और किसी जगह कालेज खोलने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती । दूसरी जगह कॉलेजेज का खोला जाना है उसमें ये तीन जगह ऐसी हैं जहां पर कॉलेज खुल सकते थे; करौली, टोंक और बारां में। वहां सब सहूलियतें है। उद्देश्य जो अपने सामने हैं उनकी सब तरह से पूर्ति यहां हो सकती है । यहां पर कॉलेज खोलने की जरूरत थी । मगर जिस कारण के कॉलेज खोले गये उसमें केवल उन चीजों की जांच करवा कर आंकड़े सामने रखेंगे तो आपको पता लग जायगा कि ये कॉलेजेज किस कारण से खोले गये हैं । खास तौर से उदाहरण के लिए दौसा को ले लीजिये । राजस्थान में इतना बड़ा स्कंडल हुआ । दौसा में किस कारण से इन्टर कॉलेज खोला गया ? हरएक सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है और करनी पडती है मगर ऐसा काम करना चाहिये जो आटे में नमक के बराबर हो । किसी एक काम को लेकर जनता के विचारों का खयाल न करके ऐसा काम करेंगे तो जरूर स्कैन्डल हो जायगा । जहां तक मेरी जानकारी है वहां हाई स्कूल में गत साल पांच या छः विद्यार्थी थे। उनके लिए २० हजार का खर्चा करके जो एक दो साल में ४० हजार तक पहुंच जायगा किस वजह से किया गया है । यह कहने की जरूरत नहीं । इसका कारण साफ है । जो चुनाव इस बार लड़े गये हैं । जो व्यक्ति-चुनाव लड़े हैं उनके लिए यह चीज हास्यास्पद है; ऐसी कॉलेज का खोला जाना । बहुत ज्यादा कोशिश करके ५, ७ विद्यार्थियों के लिए कॉलेज खोला गया । इस तरह से पांच जो दूसरे इन्टर कॉलेज खोले गये हैं उनकी स्थिति भी वही है । यही हाल वहां भी है । समय की कमी के कारण में उन सब को यहां लेना नहीं चाहता । इसके साथ साथ एक और हाई स्कूल खोला गया है उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है । इसके लिए एक स्कूल का जरूर उदाहरण दूंगा वह स्कूल लाखेरी में है जिसके इर्द गिर्द चार पांच मील पर हाई स्कूल है लाखेरी में जिस कारण से हाई स्कूल खोला गया मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनाया जायगा तो कम से कम १२ हजार के खर्च पड़ेगा । उस लाखेरी में न तो हाई स्कूल के लिए स्थान है; न फरनीचर है ।

उसके आस-पास ४, ५ मील पर हाई स्कूल मिल जायेंगे । इन्द्रपुरा वगैरा जो ५ मील की दूरी पर है हाई स्कूल मौजूद है । यहां किस कारण से हाई स्कूल खोला गया अगर इसकी जांच करके माननीय मंत्री जवाब देंगे तो मुझे बड़ा सन्तोष होगा ।

इसके अलावा जो ७ कालेज खोले गये हैं उनके मुतल्लिक में यह कहना चाहता हूं कि आज एक साल हो गया वहां पर कालेज खोले हुए फिर भी एक में भी प्रिन्सिपल की नियुक्ति नहीं की गई है । विद्यार्थियों का क्या हाल होगा, किस प्रकार शिक्षा दी जायगी। उनके जीवन पर जो असर पड़ेगा आप खुद ही सोच लें। एक साल हो गया कालेज खोले लेकिन प्रिन्सिपल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

अब में शिक्षा विभाग की अव्यवस्था के कुछ उदाहरण देता हूं । डीडवाना एक ऐसी जगह है जहां पर इन्टर कालेज है । उस कालेज को खोलने के लिये जो चन्दा दिया था वह चन्दे की रकम काफी बड़ी रकम थी-३ लाख रुपयों की । वह रुपया बिल्डिंग बनाने के लिये दिया था किन्तु अभी तक नींव भी नहीं खोदी गई। नींव खोदने का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है । जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा ज्ञात हुआ है कि युनिवर्सिटी की तरफ से उसे अन-एफीलिएट करने का हुक्म होने वाला है । इस तरह से जिन विद्यार्थियों की जिन्दगी खराब की गई है उसकी जिम्मेवारी किस पर होगी ?

अब मैं एडल्ट एज्युकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मित्र ने बहस के दौरान में यह कहा था कि एडल्ट एज्युकेशन के लिए राज्य पर खर्चा नहीं पड़ा है; एडल्ट एज्युकेशन के प्रचार के लिए जनता से पैसा इकट्ठा किया गया था उससे काम किया गया है । बजट को सरसरी तौर पर देखने से मुझे मालूम हुआ है कि एडल्ट एज्युकेशन पर करीब एक लाख रुपया खर्च हुआ है। किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए एडल्ट एज्युकेशन में पैसा लगाया गया और किस कारण से लगाया जाता है में माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जो एक लाख के करीब रुपया एडल्ट एज्यूकेशन के लिए खर्च किया गया है उसमें से ७५ फी सदी रुपया किस जगह खर्च हुआ ? इसका यदि आप जवाब देंगे तो स्पष्ट हो जायगा । मैं खुद ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपका दिल ही जवाब दे देगा । ७५ प्रतिशत रुपया एडल्ट एज्यूकेशन का किस जगह खर्च किया गया यह डाइरेक्टर ओफ एज्युकेशन से व शिक्षा विभाग के दूसरे अफसर हैं उनसे दर्यापत करके बता दिया जाय कि पिछली साल उसमें से ७५ फी सदी रुपया कहां लगाया गया ? ७५ प्रतिशत रुपया एक पर्टिक्युलर जगह पर जो बाद में चुनाव क्षेत्र बन गया था उस पर खर्च किया गया । कृपा कर आंकड़े बता देंगे तो मझे खुद को उस जगह का नाम ही लेना पड़ेगा । इस सदन को मैं बतला देना चाहता हूं कि शिक्षा जैसी पवित्र चीज जो

राजनैतिक दलबन्दी दलदल या कीचड़ में फंस गई है-शोभाजनक चीज नहीं है। यही मैं बताना चाहता हूं इसके अतिरिक्त इस एडल्ट एज्युकेशन पर पिछले साल बहुत कुछ प्रचार हुआ था और पब्लिक का रुपया इकट्ठा किया गया था। यह माननीय मित्र ने जाहिर किया था कि पब्लिशर से भी कुछ रकम ली गई थी। पब्लिक का रुपया कोई भी आदमी या संस्था इकट्ठा करके खर्च करे तो जनता का यह हक है कि वह इस बात को जाने कि वह रुपया किस किस जगह किस किस काम में खर्च किया गया है। इसका स्पष्टीकरण आज नहीं तो अगले सेशन में या विज्ञापन छपवा कर जनता तक पहुंचाने की कृपा की जायगी तो बहुत कुछ फायदा होगा।

दो चार शब्द ग्रान्ट इन एड के विषय में कह देना चाहता हूं। उसके आंकड़े अगर हम देखें तो वास्तव में राजनैतिक दलबन्दी की कीचड़ में हम कहां तक फंस गये हैं यह हाउस को विदित हो जायगा। मैं इसका जवाब चाहता हूं। आप इसका जवाब देंगे तो मालूम हो जायगा। ऐसी पवित्र चीज को भी दलबन्दी के कीचड़ में फंसा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष:—Within five minutes, please.

श्री जसवन्तसिंह:--जहां तक मेरी जानकारी है कि १७ लाख की ग्रान्ट इन एड जो सरकार को दी जा रही है, अगर उसको अच्छी तरह देखा जाय तो उसकी आधी रकम कम से कम ८ लाख रुपये की रकम ऐसी संस्थाओं को दी जाती है या इस तरह से बेरहमी के साथ उनको खराब किया जाता है कि दुःख होता है। आप मुझे यह बतलायें कि इन १७ लाख रुपयों में से कम से कम ४० हजार रुपये सालाना ग्रान्ट इन एड एक ही इन्स्टीट्युशन को देना कहां तक ठीक है। अगर आप बतला दें कि इतनी बड़ी रकम यानी ४० हजार रुपये से ऊपर की ग्रान्ट इन एड किन किन इन्स्टीट्युशन को सरकार की तरफ से दी जाती है, तो इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा कि हम क्या कर रहे हैं? आप इस प्रकार की ग्रान्ट इन एड किन किन और संस्थाओं को देते हैं, यह बतायेंगे तो मेरे सवाल का जवाब अपने आप आ जायगा। इसके साथ ही साथ कृपया आप यह भी बताएं कि उस संस्था में कुल खर्चे का कितना परसेन्टेज यह ग्रान्ट इन एड होती है। आपकी तवज्जह शासन की कहां हैं? किसी किसी जगह तो ८०-८०-९० प्रतिशत अपने खर्चे का गवर्नमेंट ऐसी संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड देती है। यह मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि राजस्थान में और खास कर किसी एक जगह जोधपुर में, चौपासनी स्कूल करके एक हाई स्कूल है। यह हमारी बदकिस्मती ही समझें कि किसी न किसी कारण से

इस संस्था पर राजपूतों का हाथ है; राजपूतों द्वारा यह संस्था चलाई जा रही है। यह पब्लिक संस्था और पब्लिक स्कूल है। उसमें प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को जाने का हक है, जाते हैं, और हैं; मगर दुर्भाग्य से राजपूतों द्वारा इसका संचालन होता है। आज ३ साल से इस संस्था के लिए एक पैसा भी ग्रान्ट इन एड नहीं दी गई। यह बड़े दुःख की बात है। अगर हमारी सरकार से हम यह उम्मीद करें कि उनका बर्ताव सब के साथ बराबर होगा तो यह एक ऐसा उदाहरण है जिसको असत्य सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जायगा। इससे पता चलता है कि वह जाति विशेष के साथ क्या ख्याल रखती है।

चूंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिए जल्दी से एक विषय पर और कहना चाहता हूं। इस शिक्षा विभाग के लिए हम २ करोड ५० लाख रुपया खर्च करते हैं। मगर दुःख की बात है कि आज हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से एक भी बी० एड० (B. Ed.) का कालेज हमारे राजस्थान के इतने टीचर्स को ट्रेन करने के लिए नहीं हैं। बीकानेर में एक सी० टी० ट्रेनिंग कॉलेज हैं। उसमें यदि बी० एड० की क्लासेज चलाने के लिए सिर्फ मामूली खर्चा ४–५ हजार रुपया सालाना आ सकता है हमारी फाइनेंस डिपार्टमेन्ट और शिक्षा का महकमा यह ४–५ हजार रुपया भी इसको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक रहस्य है। वह रहस्य शिक्षा मंत्रीजी से स्वयं से ही कहलाना चाहता हूं कि अगर बीकानेर के इस सी० टी० ट्रेनिंग कालेज को बी० एड० स्टेन्डर्ड का कालेज बना दिया जाय तो एक विशेष इन्स्टीट्यूशन है जो कि १ लाख रुपया सालाना खर्च करती है उसको मदद देना बन्द हो जाय। सिवाय इसके और कोई कारण नहीं निकल सकता है कि बीकानेर के सी० टी० ट्रेनिंग को बी० एड० के स्टेन्डर्ड का नहीं बनाया जाता है। एक उदयपुर में सेक्सरिया कालेज है। वहां पर, मैं यह जानना चाहूंगा कि उसका एन्युअल खर्चा क्या है और उस इन्स्टीट्यूशन को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रान्ट इन एड क्या दी जाती है? अगर यह आप बतला देंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि हम कितना रुपया एक इन्स्टीट्यूशन को देते हैं। अपने अपने साथियों को इन्स्टीट्यूशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट की इस्टीट्यूशन को दबाते हैं।...... (विचार जारी)

**माननीय अध्यक्ष:**—इट इज मोर देन इनफ टाइम देट यू हेव टेकन।

**श्री जसवन्तसिंह:**—फी विद्यार्थी ३–३ हजार रुपये उस कालेज में भेजने के लिए हमें खर्च करने पड़ते हैं।

सिर्फ एक बात और है कि 'प्रजा सेवक' करके जोधपुर का अखबार है। अगर मैं गलत होऊं तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी खुद करेक्ट करेंगे। अगर मैं यह कहूं कि एज्युकेशन डिपार्टमेंट ने २० हजार जो स्कूलें हैं उनके लिये इसे रिकमन्ड किया है। गवर्नमेंट की ओर से इस अखबार को गवर्नमेंट के खर्चे पर भेजने का आदेश दिया गया है। इस तरफ से अपनी पोलिटिकल पार्टी के अखबार

को इमदाद देने के लिए, जनता के प्रतिनिधियों की मजाक करने के लिए, अगर गवर्नमेंट यह रुपया बरबाद करती है तो उनकी मर्जी की बात है। इसके साथ साथ ही म्युनिसिपल स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी इन्स्पेक्टरों द्वारा जोर दिया गया कि वे 'प्रजा सेवक' को सब्स्क्राइब करें। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इसका जवाब देंगे। जो सरकार यह दावा करती है कि वह राजनीतिक दलदल में फंसकर नहीं सोचती है और फिर इस तरह के रास्ते पर चलती है, तो उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्रीजी देंगे।

**श्री गोपीलाल यादवः**—माननीय अध्यक्ष, मुझे शिक्षा के संबध में जो नीती बरती जा रही है उससे बड़ी निराशा है, और इसी कारण से मैंने अपना कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

सबसे पहली बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि इस बजट में बेकवर्ड क्लासेज यानी जो पिछड़ी हुई जातियां दहातों के अन्दर रहने वाली हैं, मैं देहात के रहने वाले तकरीबन सभी लोगों को पिछड़ी हुई जातियों में ही समझता हूं, सिवाय उनके जो कि किसी गांव में एकाध सेठ या एकाध विद्वान पंडित रहता है वाकी सब वहां के रहने वाले शिक्षा के हिसाब से, माली हालत में, सब तरह से पिछड़ हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि उनकी तरफ ध्यान दे। लेकिन हम भूल की तरफ जा रहे हैं। पिछले साल हमारी एज्युकेशन, जिसका कि देहातों से खास तौर से संबध है उस पर जितना रुपया खर्च किया गया था, इस साल के बजट में बहुत बड़ी रकम उसमें कम कर दी गई है, जो कि ५० लाख के करीब है। उस कमी को जब देखेगें कि यह क्यों की जा रही है तो मालूम होगा कि वह रकम प्राइमरी स्कूलों के वजट में से लेकर सैकंडरी स्कूलों के खर्च में दिखला दी गई है। अगर इसके मायने यह हों कि हरेक प्राइमरी स्कूलों में जिसमें पहले यह रकम खर्च हो रही थी, उसे अब सैंकडरी स्कूल बना दिया गया है। तो उसमें रकम इधर से हटाने के बजाय उससे १० गुना या २० गुना ज्यादा रकम बढानी पड़ती, लेकिन उसको देखने से अन्दाजा होता है कि प्राइमरी स्कूलों में रुपया खर्च नहीं करके कुछ स्कूलों को मिडिल स्कूलों या हाई स्कूलों में तब्दील करके इधर की रकम उधर लगा दी गई है। नतीजा यह होने जा रहा है कि हम अपने उस उद्देश्य को जो कि देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित बना देने का है पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठा रहे हैं। इस देश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं कि ६ साल से उम्र से १२ साल तक के करीब २० लाख बच्चे हैं, और इस वक्त प्राइमरी शिक्षा देने वाले अध्यापकों की तादाद करीब ६६९० है। एक अध्यापक यदि ३० बच्चों को पढ़ाये तो करीव २० लाख बच्चों को शिक्षा देने के लिये कितने अध्यापकों की अवश्यकता है ? इसके माने ये हैं कि इस वक्त जो रकम इस प्राइमरी शिक्षा पर खर्च कर रहे है उससे दस गुनी हम को फिर खर्च करनी है। यदि हम देश के हर बच्चे को कम से कम प्राइमरी शिक्षा देने का कर्तव्य समझते ह तो मैं मानता हूं कि बजट में कमी है लेकिन हमें अनुमान है कि यदि हमारी सरकार इस पर ध्यान दे तो रुपये तलाश किये जा सकते हैं मैं

शिक्षा के लिये रुपये पैसे के मामले में निराशा की तरफ नहीं जाता मेरा ख्याल है कि यदि गवर्नमेन्ट अपना उद्देश्य बनावे कि चार पांच वर्षों में सारे राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा को लाजमी तौर पर करना है तो रुपये भी मिल जायेंगे क्यों कि जहां इच्छा होती है तो उसे पूरा करने की तरकीब भी मिल जाती है। यदि वे समझना चाहें तो समझाया जा सकता है बशर्ते कि गवर्नमेन्ट के मंत्री यह समझें कि दूसरी तरफ के लोग जो मौजूद हैं वे भी सहायता कर सकते हैं, तरीका बता सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब कि वे मानने को तैयार हों। यदि वे यह समझते हैं कि हमे दूसरों के तरीके पर सोचकर पाव आने भर भी काम नहीं करना ह, उससे हमारा अपमान होगा तो में बता देना चाहता हूं कि वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आजकल जो मौजूदा गवर्नमेन्ट है यदि वह आज से ३५ साल पहले होती तो आज में एक अशिक्षित आदमी होता। आज में आप को बताना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने पढ़ाई शुरू की, एक पैसा खर्च नहीं किया। स्कूल फीस नामकी कोई चीज उस समय नहीं थी। किताबों के पैसे सरकार से मिलते थे, बोर्डिंग की फीस सरकार ने दी, युनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की फीस सरकार ने दी और शुरू से आखिर तक वजीफे सरकार ने दिये। आजकल इस तरह की कोई चीज नहीं की जाती, बल्कि ऐसा बोझ गरीब किसानों पर डाला जाता है कि उनके बच्चे हर्गिज नहीं पढ़ सकते। बच्चों पर इस तरह की फीसें खेल के नाम से, लाइब्रेरी के नाम से, स्कूल में दाखिल करते समय; शुरू में करीबन २७) रु० एक बच्चे के लिये देने पड़ते हैं। यदि एक आदमी के चार बच्चे हैं और वह उनको स्कूल में दाखिल करवाना चाहता है तो वह उनको फी बच्चा २७) रु० के हिसाब से कहां से दे सकता है? में आप के सामने एक छोटासा उदाहरण पेश करता हूं। भरतपुर में एक सिविल जज पहुंचे। उनके चार बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना था। स्कूल के हेड मास्टर ने कहा कि आप को इतने रुपये देने पड़ेंगे। उनके पास इतने रुपये उस समय नहीं थे। उन्होंने हेड मास्टर से कहा कि अगले महीने में रुपये जमा करा देंगे। हेड मास्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। रुपये देंगे तभी दाखिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि ट्यूशन फीस अभी ले लो बाकी फीस आगे ले लेना। पर हेड मास्टर ने कहा कि ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता; आपके बच्चे दाखिल नहीं हो सकते। मैं आप को बताना चाहता हूं कि बीस दिन तक वे बच्चे घर में बैठे रहे। उनको स्कूल में बैठने तक की इजाजत नहीं दी। इस तरह की फीस गरीब किसान नहीं दे सकते। क्या यह पढ़ाने का ढ़ंग है ?

अब में दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां शिक्षा के जो मेथड्स हैं वे इस कदर पुराने जमाने के दकियानूसी हैं कि जिनसे ठीक ढ़ंग से शिक्षा नहीं दे सकते, स्कूलों में बच्चे जाते हैं। उन बच्चों की तरफ हमारे टीचर्स यह नहीं जानते कि हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि ट्रेनिंग स्कूल वहा बढ़ादी जाय। मैं कहूंगा कि इतनी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स होते हुए भी अध्यापक यह नहीं समझते कि वास्तव में उनकी ड्यूटीज क्या हैं, किस तरह का काम उनको करना है। एक टीचर यह नहीं जानता कि पढ़ाते समय बच्चों के दांत साफ हे या नहीं, उनकी आखें धुली हुई हैं या नहीं, वे साफ कपड़े पहन हुए हैं या नहीं, इन बातों को पहले देखना चाहिए। मैंने बहुतसी स्कूलों के बच्चों

को देखा है उनमें से ८०-९० प्रतिशत ऐसे मिलते हैं जो दांत और आखें साफ करके नहीं आते । यह हमारे टीचर्स की ड्यूटी है । शिक्षा विभाग के अफसरों को इन अध्यापकों को बतलाना चाहिए कि जिस वक्त बच्चे पढने आवें उस समय वे देखें कि उनके दांत साफ हैं या नहीं, आंखे साफ है या नहीं, कपड़े साफ पहनकर आते हैं या नहीं । हमारे अध्यापक यह नहीं जानते कि उनके बच्चों और उनके परिवार (फैमीलीज) के साथ उनका क्या सम्बन्ध है । मैंने कई टीचर्स को समझाया है कि आपको उन बच्चों के घर कभी कभी जाकर उनके माता पिता से मिलना चाहिये । उनके घर देखने चाहिए और उनके माता पिता आदि से पूछना चाहिए कि वे किस तरह पढते है, तुम्हारे साथ वे बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं इत्यादि । यदि आप ऐसा करेंगे तो घर और स्कूल में ऐसा सहयोग प्राप्त होगा जिससे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । लेकिन ट्रेनिंग स्कूल्स में अध्यापकों को ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं जिनसे रुपये व्यर्थ खर्च होते है । उन्हें यह नहीं समझाया जाता कि किस तरह काम करना है । छोटे छोटे विद्यार्थी स्कूल जाते समय मां की गोदी को छोड़कर आते हैं तो रोते हैं । अध्यापकों को चाहिये कि वे उन्हें इस तरह प्यार से रखें कि उन्हें माता की याद ही न आवे । टीचर्स को भी आदर्श ट्रेनिंग देनी चाहिये । हमारे यहां इम्प्रूव्ड मेथड ओफ एज्युकेशन है ही नहीं और एज्युकेशन की तरफ ध्यान ही नही दिया जाता । प्राइमरी एज्युकेशन कम्पलसरी करने के लिये हमारे भरतपुर में जब की वह एक अलग स्टेट था, सन् ४८ में कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन की योजना बनाइ गई थी । यदि बद किस्मत से इकट्ठे नहीं हो जाते तो आज से कई दिनों पहले भरतपुर ही में नहीं अन्य कई रियासतों में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो जाती । रियासतों के एकीकरण के समय हमें यह बतलाया गया था कि छोटी छोटी रियासतों में कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जा सकती; इसलिये जब हम सब एक हो जायेंगे तो हम काफी तरक्की कर सकेंगे । पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जितना आगे बढने का सोच रहे थे उससे कहीं अधिक पीछे हट गये । मैं माननीय शिक्षा मंत्री से बताना चाहता हूं कि जो पैसे वाले लोग सरकार को एक पैसा भी टैक्स के नाम पर नहीं देते हैं वे भी शिक्षा पर खर्च करने के लिए काफी पैसा देने को तैयार हो जायेंगे; अगर यहां पर कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन करदी गई ।

**श्री मथुरादास माथुर**:—अध्यक्षजी, विरोधी पक्ष के नेता ने कटमोशन को इस सदन के समक्ष पेश करते हुए जो विचार रखे उनको सदन के सभी सदस्यों ने गम्भीरता से सुना । मुझे दुःख है कि जब आज इस सदन में विरोधी दल के नेता का भाषण हुआ या वक्तन फवक्तन जब कभी इस सदन के उस तरफ से जो आवाज उठती रहती है उसके हर एक पहलू में न जाने क्या हो गया है ? उनको सब बातों में राजनीति ही नजर आती है । जब हम इस सदन में राजप्रमुख के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे या बजट के जनरल आंकड़ों पर बहस कर रहे थे या जागीर उन्मूलन बिल पर चर्चा हो रही थी तब हर तरफ से यह आवाज उठती रही कि इसमें कहीं न कहीं राजनीति है । आज दुःख के साथ यह सुनना पडा कि राजस्थान में जो शिक्षा प्रचार किया जा रहा है उसके पीछे भी राजनीति है । राजस्थान में शिक्षा प्रसार आंदोलन के लिये जो कार्यवाही हुई उसमें हमारे विरोधी दल के नेता मौजूद

थ और उनको चाहिये था कि वे उसके लिये कोई सुझाव रखते; मगर उन्होंने कोई नहीं रखा। मैं यह कहूंगा कि जब हम शिक्षा को भी राजनीति से अलग रखेंगे तभी हमारा राजस्थान स्वस्थ और तन्दुरुस्त राजस्थान बनेगा। अब यह कहा जाता है कि स्कूलें और कालेजेज खोलने में पक्षपात की नीति रही। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि विरोधी दल के नेता उस वक्त मंत्री मंडल में सदस्य थे और उन्होंने कभी भी किसी जगह पर स्कूलें और कालेजेज खोलने में न तो कोई ऐतराज उठाया और न किसी संबन्ध में कोई बात सुझाई; ऐसा कहीं भी साबित नहीं होता। वहां से निकलने के बाद में भी तो वे विरोधी दल के नेता हैं। उनको यह कहना शोभा नहीं देता। फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिये यह कह देना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते जो उन्होंने प्रश्न उठाया है उसका उत्तर देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। यदि वे अपने दिल और दिमाग से पूछें तो यह तथ्य छुपाया नहीं जा सकता कि शिक्षा के सम्बन्ध में आपने राजनीति बरती है न कि इस पक्ष के लोगों ने। यह बात सिर्फ इस बात को साबित करने के लिये कही गई है कि इस पक्ष के लोगों ने शिक्षा में राजनीति बरती है। उन्होंने यह कहा कि १९५१-५२ में ७ कालेजेज खोले गये। मैं यह कहूंगा कि उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। सरकार की तरफ से पांच कालेजेज और हर डिविजन में एक कालेज खोला गया। मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि कालेजेज और स्कूलें खोलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह कस्बा कितनी आबादी का है, उसमें कितनी स्कूलें हैं और कितने विद्यार्थी हैं, वहां पर सरकारी स्कूलों के अलावा कितनी स्कूलें हैं और सरकार को कितनी सहायता वहां के लोगों से मिल सकती है? इन सब बातों को स्कूल और कालेजेज खोलते समय देखना पड़ता है। मैं सदन को तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि जो पांच कालेजेज खोले गये हैं उनमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं था। जिस समय कालेजेज खोले गये थे उस समय चुनाव बहुत दूर थे। दौसा में कालेज वहां की आबादी और आस पास की हाई स्कूलें और रूरल एरिया की हालत को देखते हुए खोला गया था। इसके आलावा पहले जो वायदे सरकार ने किये थे उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमारी पहले की सरकार ने १९४९-५० ने किशनगढ जो एक बड़ा कस्बा है, वहां पर एक कालेज खोलने के लिये वादा किया था; इसलिये हमें वहां कालेज खोलना पडा। मैं माननीय विरोधी दल के नेता को बतलाना चाहता हूं कि अगर उनका इस प्रकार कहने का आशय, मेरी तरफ इशारा करना था तो मैं यह कहूंगा कि जोधपुर डिविजन में जरूर कालेज खोला गया; मगर जोधपुर में नहीं खोला गया। वह डीडवाना में खोला गया क्योंकि वहां के सेठ ने ३ लाख रुपये बिल्डिंग के लिये और एक लाख रुपये कालेज के खर्चे के लिये दिये। यह मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं बरती गई। अगर वे देखें तो उनको मालूम होगा कि जोधपुर डिविजन को एक कालेज का घाटा हुआ। क्योंकि जो डीडवाना में कालेज खोला गया वह एक प्राइवेट व्यक्ति का खोला गया। यह कहा जाता है कि डीडवाना में बिल्डिंग नहीं बना। मैं यह कहूंगा कि उस समय हमारे ओफिसर लोग चुनाव में लग गये। अब वह काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा। अब यह कहा जाता है कि हाई स्कूल खोलने में पक्षपात किया गया और किसी खास डिविजन में खोली गई। राजस्थान एक बना; फिर अभी तक हमारे

दिमाग में बंटवारे आदि की बातें कि एक डिविजन में खोली गई और दूसरी जगह नहीं खोली गई, आ रही हैं। मैं यह कहूंगा कि वहां की जनता की आवश्यकता और लोगों की मांग को देखते हुए खोली गई है। अब यह कहा जाता है कि लाखेरी में हाई स्कूल क्यों खोला गया। यह एक अच्छा टाउन है और यहां के सेठों की तरफ से हाई स्कूल जो थे वे बन्द होने जा रहे थे और जो साधन जनता को मिल रहे थे वो भी बन्द हो रहे थे इसलिये वहां हाई स्कूल खोल दी गई। उस समय जब हाई स्कूलें खुल रही थीं और खोली गई हमारे विरोधी दल के नेता ने कोई ऐतराज नहीं उठाया। मैं अपने भाषण को लम्बा करके सदन का समय नहीं लेना चाहता मगर इसके साथ साथ विरोधी दल के नेता को बतलाना चाहता हूं कि हमने पूरी तरह से कोशिश की थी कि शिक्षा में राजनीति नहीं आने पाए और उस परम्परा को हमने कायम रखा।

प्रौढ़ शिक्षा के लिये रुपये की कमी थी इसलिये टैक्स बुक डीलरों ने यह आश्वासन दिया था कि वे १० प्रतिशत वोलेन्टीअरी डोनेशन के रूप में सरकार को देंगे और जो रुपया इससे आया और खर्च होता है उसका बकायदा हिसाब जिस तरह फाइनेंस का होता है, हुआ है। जो रुपया खर्च हुआ है सब फाइनेंस का हुक्म लेकर खर्च हुआ है। इसलिये मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि यह रुपया चन्दे के रूप में इकट्ठा किया और यह रुपया खजाने में पहुंच गया है और जो खजाने से रुपया लेन देन के कायदे कानून हैं, अमल में आते हैं। इसलिये यह कहना कि रुपया का प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में दुरुपयोग हुआ, ठीक नहीं। मैंने अपने सोशियल एज्युकेशन वीक के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सरकारी रुपया जो खजाने में एक्सचेकर का होता है, खर्च नहीं हुआ। स्कूलों के बच्चों ने रुपया इकट्ठा किया था और जो जरूरी चीज थी उस पर खर्च किया और जिस सरकार ने यह आन्दोलन किया यह उसका एक अंग था। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं जिसके बारे में काफी गलत फहमी है। जोधपुर में चौपासनी स्कूल जो पहले सरकारी था, उसके बाद जोधपुर की भूतपूर्व सरकार ने निर्णय किया कि वह स्कूल जो साम्प्रदायिक स्कूल था, राजपूतों का स्कूल था, उसको सरकार बन्द करके चौपासनी मिलिट्री स्कूल में बदलना चाहती थी और महाराजा ने इसके लिये आज्ञा दे दी थी। उसको स्वीकार नहीं किया और राजपूतों ने आन्दोलन किया और उसका यह फैसला हुआ कि यह स्कूल राजपूत सभा को दे दिया जावे और इसका नतीजा यह हुआ कि जो मिलीट्री स्कूल सरकार खोलना चाहती थी नहीं खुल सका। इससे जोधपुर की जनता को काफी नुकसान हुआ। बिल्डिंग के लिये तीन चार लाख रुपया राजपूत सभा ने देने का तय किया और जोधपुर महाराजा ने यह निश्चय किया कि यदि इसका रुपया राजपूत सभा नहीं देगी तो महाराजा खुद देंगे। इस पर राजपूत सभा को स्कूल सौंप दिया गया। चूंकि वहां पर दूसरी कौम के लड़के नहीं पढ़ते थे और भर्ती नहीं किये जाते थे इसलिये उसको ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती। अब उन्होंने यह तय किया है कि दूसरी कौम के लड़के भी भर्ती किये जा सकते हैं। मगर जो ग्रान्ट इन एड देने के कानून हैं

उसकी पूर्ती नहीं होती है इसलिये उसको अभी ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती है। मैंने खुद ने राजपूत सभा में भाषण देते हुए कहा था कि इसमें कोई राजनीति नहीं बरती जावेगी क्योंकि हमें कोई राजपूतों से झगड़ा नहीं है। राजपूतों के लड़के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज उस स्कूल के लिये जो सवाल पैदा हो रहा है वह यह है........

श्री गोपीलाल यादव:—ओन दी पाइन्ट ओफ इन्फोरमेशन सर, उनको कैसे पता चला कि वे इस स्कूल में एक जाति के लड़के होने से एड नहीं दी जावे। वे तमाम देश के बच्चे क्यों नहीं माने जावें।

श्री मथुरादास माथुर:—लड़कों में जातीयता नहीं है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—क्या माननीय मित्र यह बताने को तैयार हैं, इस सदन में कि किस नाम के विद्यार्थी ने पिछले २ साल में उस स्कूल में दाखिला पाने के कोशिश की और उसको इन्कार किया।

श्री मथुरादास माथुर:—मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं अध्यक्षजी, इस वक्त तो मैं इस सम्बन्ध में सारी बातें नहीं कह सकता हूं, किस ने दाखिला मांगा और नहीं दिया गया यह तो सारी बातें स्कूल के हेड मास्टर ही बतला सकता हैं। मैं केवल इतना ही बतला सकता हूं कि उनसे यह वादा हुआ था कि २॥ लाख रुपया वे बिल्डिंग का सरकार को दे दें तो हम स्कूल को सौंप देंगे और इस वायदे के अनुसार स्कूल उन्हें दे दी गई। पर अभी तक वह तीन लाख रुपया नहीं अदा किया गया। भारत सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कई बार तकाजे भी आये थे कि तुमने रुपया देने का वायदा किया था उसको चुकाओ। इस प्रकार वह देने—लेने के झगड़े में वह मामला उलझ गया और वह कागज आज तक इधर उधर ही घूम रहे हैं। मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि चोपासनी वालों की इंस्टीट्यूट को काम करने की आज्ञा दी गई थी, और जब सरकार उस पर कार्यवाही करेगी तो मालूम हो जायगा कि इस मामले में कितनी साम्प्रदायिकता बर्ती गई। मेरे लायक मित्र विरोधी दल के उपनेता ने यह कहा कि आप बच्चों को तो कम से कम राजनीति से अलग रखें; लेकिन मैं तो अध्यक्षजी, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि स्कूल के बालकों को राजनीति में उन्होंने घसीटा या हमने; इसका निर्णय तो वे ही करें। उन्होंने जोधपुर की चोपासनी वाले स्कूल के बच्चों को चुनाव में काम करने के लिए लगाया। राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। यह तो परिवर्तनशील है। आज कांग्रेस पावर में है तो कल दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है। साम्यवादी, समाजवादी पावर में आ सकते हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है और रहा है कि आप उन बच्चों को तो कम से कम राजनीति से अलग रखें; उन्हें तो आप इसमें न घसीटें।

इसके साथ एक बात और मैं आपसे यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारे पर यह आरोप किया गया है कि एड देते समय भी हम लोग पक्षपात करते हैं अपनी संस्थाओं को ही एड दे देते हैं। विरोधी दल के मेरे लायक मित्र ने यह

बात कह डाली, लेकिन मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं की गई। उदयपुर में विद्याभवन है जिस पर राजस्थान को गौरव होना चाहिए कि यहां पर इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है। इसकी तारीफ हिन्दुस्तान में हर जगह की जाती है। वहां पर काफी लड़के तालीम पाते हैं। वहां अगर ४०-५० हजार या एक लाख रुपये की एड दे भी दी गई तो इसमें कौनसी ज्यादा दे दी गई है। जिस जगह के लिए हिन्दुस्तान के सारे लोग तारीफ करें उसकी उन्नति के लिए अगर कुछ किया जाय तो इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं हो सकती है। अभी कहा गया कि बीकानेर के कालेज को बी. ए. का डिप्लोमा क्यों नहीं दे दिया जाता। यह तो तभी सम्भव होगा जब कि हमारी माली हालत ठीक हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब कि हमारा विद्याभवन उदयपुर में जो चल रहा है और कई सौ लड़के वहां से हर साल निकलते हैं; उसे उसी प्रकार चलता रहने दें।

इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि अभी विरोधी दल की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जोधपुर के किसी अखबार को मदद दी है। जिस अखबार का नाम लिया गया अगर उस अखबार की पिछली फाइलें उठाकर पढ़ी जायं तो मालूम होगा कि वही अखबार कांग्रेस का सबसे अधिक विरोधी रहा है। वह हमेशा कांग्रेस का विरोध करता रहा है। रहा सवाल किसी अखबार को स्कूलों के लिये रिकमंड करने का। यह तो इन्स्पेक्टर का काम है। वह देखते हैं कि जिस अखबार का सर्क्यूलेशन अधिक होता है उसी अखबार को रिकमंड किया जाता है; वही अखबार स्कूलों में स्कूल के लड़कों को पढ़ाने के लिये मंगाया जाता है। जिस समय यह मंगाये जाते हैं यह नहीं देखा जाता है कि यह किस दल का है और किस दल का नहीं है। जिसका सरक्यूलेशन अधिक होता है उसीको मंगाने के लिए इंस्टीट्यूशन से कहा जाता है। तो कम से कम मैं यह तो अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप इस तरह की बिना जानकारी की बातों को तो न कहा करें; काले चश्मे में सब बातें काली ही न देखा करें। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। जोधपुर में रहने वाला, वहां की राजनीति से परिचित होने वाला कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि वह अखबार कांग्रेस का पक्ष वाला रहा है। एक तरफ तो मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के डिप्टी लीडर यह कहते हैं कि हम यहां कोई रोड़े अटकाने नहीं आये हैं, हम कन्धे से कन्धा मिलाकर आपका साथ देने को आये हैं लेकिन आप हमें विरोधी ही समझ रहे हैं; वहां दूसरी तरफ आप हर चीज को राजनीति ही समझ रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी सी बातों को आप राजनीति में घसीटते हैं जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो पहले आप अपने आपको देखें, और अपनी जो यह मनोभावना है उसको ठीक करने की कोशिश करें।

श्री तेजमल बाफना:-आज शिक्षा के ऊपर जो मेरा कटमोशन आया है उसका एक विशेष महत्व है। कटमोशन केवल इसलिए लाया जाता है कि इस महकमें में जो खराबी हो, जो अव्यवस्था हो, उसको सरकार शिघ्रातिशीघ्र दूर करे, उसकी तरफ ध्यान दे। इस शिक्षा जैसे विषय को राजनीति में घसीटना इसको दलबन्दी में फंसाना यह किसी भी रूप में ठीक नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष:--आप कटमोशन पर बोल रहे हैं ।

श्री तेजमल बाफना:--जी । तो मेरा एक कटमोशन इस विषय पर है । उसका जवाब भी मंत्री मोहदय से मिलेगा । मेरा उद्देश्य तो मंत्री महोदय का ध्यान इस महकमे की खराबियों की ओर आकर्षित कराना है । मुझे सरकार का उस ओर ध्यान दिलाना है कि जो अव्यवस्था चल रही है उसका असर इन विद्यार्थियों पर कैसा पड़ेगा ? जो कि पिछले ४ वर्षों से अपनी मांग को आपके सामने रखते आये हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स भी की हैं, रिप्रेजेंटेशन भी लाये हैं और उन्हें बारबार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया हैं कि अभी नही १ महीने बाद, दो महिने बाद, छः महीने बाद, इस समर में उस समर में आप की मांग पूरी की जायगी इस प्रकार कितने आश्वासन दिये गए हैं पर वह कागज आज तक वहां से एक इंच भी आगे नहीं सरके हैं, इसका आखिर मतलब क्या है ? बालक, जो कि हमारे भविष्य की आशा हैं उनकी सुख सुविधा के लिए हर प्रकार के साधन हमें देना चाहिए, और हम देने की सोचते भी हैं लेकिन फिर क्या कारण है कि इस प्रकार उनको हर चीजके लिए परेशान होना पडता है । तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन बातों पर शीघ्र ही ध्यान देंगे । दूसरी बात जो है उसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा के बदले हुए जमाने में जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रान्त, हमारा राजस्थान शिक्षा के मामले में आगे बढे तो दूसरी तरफ हमारे विद्यार्थियों और उनके माता पिताओं पर कुछ इस तरह के बोझे होते हैं जो नहीं होने चाहिये । वह बोझे, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की फीस तो ली ही जाती है परन्तु इसके साथ २ गेम्स के ८ आने लिए जाते हैं, तो ४-६ आने लाइब्रेरी के लिए जाते हैं । मेरी समझ में नहीं आता है, कि जहां एक ओर हम शिक्षा को बढाना चाहते हैं, उनके साधनों को बढाना चाहते हैं, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते हैं; तो फिर यह छोटी २ सी बात के लिए, लाइब्रेरी और गेम्स तक की फीस क्यों ली जाती है, यह समझ में नहीं आता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तरह की छोटी २ फीसे लेना बन्द कर देना चाहिये । हमारे इस वर्ष का बजट ढाई करोड़ का है । मैं नहीं समझता कि यह शिक्षा का बजट कुछ विशेष है । लेकिन एक बात और अध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करना चाहता हूं । इस विषय पर कि राजस्थान में इस वर्ष के लिए कोई भी नई संस्थाएं नहीं कायम की जायं, इसमें कोई बुराई नहीं होगी । कई कालेज चल रहे हैं; बहुत सी स्कूलें चल रहीं हैं; लेकिन उनमें से कइयों में कई काम अधूरे पड़े हुए हैं । कहीं प्रिंसिपल नहीं हैं तो कहीं प्रोफेसर नहीं हैं किसी जगह के कमरों की पट्टियां नहीं चढ़ी हैं तो कहीं रूफ नहीं बने हैं । तो इस प्रकार के जितने भी अधूरे काम हैं वे इस साल पूरे कर दिए जायं तो कहीं ज्यादा फायदा होगा । मुझे उम्मीद हैं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी इस महकमें की कमियों को दूर कर उचित व्यवस्था करेंगे ।

श्री कर्नल दलीपसिंह:--अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से काफी बहस इस एज्युकेशन के कटमोशन बारे में हो गई है और काफी चीजें इस बारे में कही गई

है, लेकिन अफशोस तो यह है कि किसी ने कहा कि इसको राजनीति में घसीटा जाता है, किसी ने कालेज खोलने की मांग की है, लेकिन किसी ने एक्स सोल्जर्स के बारे में कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है। सदस्यों को मालूम होगा कि पहले हर रियासत में उनके लिए स्कूलें थीं, हरेक को तालीम मिला करती थी, उनके लिए उचित व्यवस्था थी; लेकिन जब से राजस्थान बना है वह बन्द कर दी गई है। उनके लिए जो कुछ पहले खर्च होता था वह बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन मासूम बच्चों ने क्या कसूर किया है जो उनको इस तालीम से वंचित किया जा रहा है। मैं ज्यादा इस बारे में टाइम इस सदन का नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ यही कह देना चाहता हूं कि उन छोटे २ से बालकों के लिए भी आप कुछ सोचें और उनकी शिक्षा का उचित इंतजाम करें।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी:-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में कहना तो बहुत कुछ चाहता था परन्तु हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ कुछ खास मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो आज से करीब ५०-६० वर्ष पूर्व दूसरी सरकार एक विदेशी सरकार इस देश में भी उसके द्वारा बनायी हुई है; उसका उद्देश्य यह था अपने शासन को चलाने के लिए अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए सिविल सरवेन्ट्स व क्लर्क्स की जरूरत थी उनको तैयार किया जाय। आज स्वतन्त्र देश हुआ है, आजादी मिली है; क्या योग्य नागरिक को तैयार करने की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। आज के नागरिक को एक जिम्मेवार शासन को चलाने के लिए योग्य बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अब जमाना बदल गया है। इसके साथ साथ हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है कि नये जमाने के साथ साथ सारी चीजें बदलनी चाहिये, आज का जो सिस्टम है वह बदलना चाहिये। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषयुक्त है जिसमें नवयुवकों की शक्ति का दुरुपयोग है। इस मायने में इस देश की सारी की सारी एज्युकेशन एक मात्र कारण है। खास तौर से सिस्टम आफ एग्जामिनेशन (परीक्षा का तरीका) है। वह हार्मफुल है। इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन नाम की एक पुस्तक निकली थी उसमें बताया गया था कि आज कल जो परीक्षा की प्रणाली है वह बिल्कुल रिलाइबेल नहीं है। १०-१२ यूनिवर्सिटी के अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग पर्चे दिये गये, उनकी कापियों को चार अलग अलग एग्जामिनर्स के पास भेजा गया। जिस एक विद्यार्थी के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आये दूसरे एग्जामिनर ने उसे फेल कर दिया तीसरे विश्व विद्यालय ने जो दूसरे विद्यार्थियों को फेल कर दिया था दूसरे विश्व विद्यालय ने उनको फर्स्ट क्लास मार्क्स दे दिये। यह उस किताब में बताया गया है। इस बात से यह पता चलता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है; उसमें जल्दी से जल्दी परिवर्तन होना चाहिये। साथ ही हमारे देश की जिम्मेवारी केवल निर्वाहन करने के लिए नहीं है। उन्हें आजाद देश के आदर्श नागरिक बनाना है यह प्रान्तीय सरकार की जिम्मेवारी है केन्द्र का मुंह इसमें ताकने की जरूरत नहीं। इसकी शुरूआत यहां की जा सकती है।

आज की शिक्षा प्रणाली से निकले हुए छात्र समाज के लिए उपयुक्त नहीं हो रहे हैं। उनमें ९५ प्रतिशत में आत्म विश्वास नहीं होता है। हजारों आदमी साइन्स, बायोलोजी आदि की डिग्रियें लेकर निकलते हैं लेकिन आज तक कभी ऐसा देखने में नहीं आया किसी ने किसी चीज की खोज की हो; कोई सर्च की हो । फ्रांस, इंगलेन्ड अमेरिका में जो नयी चीजें इजाद होती हैं वे वहां से निकले हुए छात्र ही करते हैं। हमारे यहां से बी.एससी की डिग्री लेकर हजारों की संख्या में छात्र निकलते हैं लेकिन किसी ने साइन्स में कोई चीज निकाली हो ऐसा दिखाई नहीं देता। कई एक एक्सेप्शन्स हो सकते हैं। हमारे यहां इनिशियेटिव का बहुत अभाव है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए उपयोगी नहीं है इसलिये इसमें पर्ण परिवर्तन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये। इसके लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया है इसलिए यह बड़े दुःख की बात है। साथ ही में यह भी कह देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में क्वान्टिटी का ख्याल रखा जाता है। प्राइमरी एज्युकेशन का प्रसार किया जाता है लेकिन मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में क्वालिटी का ख्याल ज्यादा रखा जाना चाहिये। हर स्कूल में हम इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते । हर देश में कुछ कालेज या विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते हैं जो मोर्डन ढंग से चलाये जाते हैं। वहां योग्य छात्र भेजे जाते हैं जहां से वे निकलते हैं लीडर्स ,एडमिनिस्ट्रेटर्स आदि बनकर निकलते हैं। सभी लोग वहां से एक खास प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। इस दिशा में हमारा देश और हमारा प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है अपने देश व अपने प्रान्त की स्कूलों की मिसाल ले लीजिये यहां मेंचेस्टर या ओक्सफोर्ड जैसा कोई विश्वविद्यालय नहीं। कम से कम कुछ कालेज या कुछ विश्वविद्यालय मोर्डन तरीके पर खर्चा करके तैयार करने चाहिये जिससे दूसरी संस्थाओं को आदर्श रख सके और श्रेष्ठ नागरिक तैयार हो सकें।

एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि विरोधी दल के नेता की बात पर सब डिवीजन जो दौसा है उसमें इन्टरमिडियेट कालेज के खोले जाने पर बहुत आपत्ति उठायी है। मैं समझता हूं उनको वहां के फेक्टस का पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय करौली में या टोंक में या बारा में इन्टर कालेज खोला जा सकता था। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि दौसा सब डिवीजन का हैड क्वार्टर है, वहां तीन लाख की आबादी है। करौली में मेरे ख्याल से डेढ या पौने दो लाख की आबादी है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से आपने सुझाव रखा कि तीन लाख की आबादी से कालेज हटाकर डेढ लाख की आवादी वाले जिले में खोल दिया। मैं उसके लिए बताना चाहता हूं; उसके ६० मील के इलाके में कहीं भी कालेज नहीं है पांच हाईस्कूलें हैं। विद्यार्थियों को दूर दूर जाना पड़ता है। उनको आगे की शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। आपने राजनीति में न पड़ने की जो बात कही है; करौली का नाम लेकर आपने अपने बेंच पर बैठे हुए एक सदस्य का समर्थन किया है। हमें वास्तविक दृष्टिकोण से देखना चाहिये। विरोधी दल के नेता ने जो बात कही थी वह सिलसिलेवार नहीं थी। उनको चाहिये था कि दौसा की सिफारिश करके वे करौली की भी सिफारिश करते।

**श्री मदनमोहन**:—माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा के विषय पर जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में चन्द शब्द में आपके, गवर्नमेन्ट और सदन, के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। शिक्षा जैसे विषय पर कटौती का प्रस्ताव लाते हुए देख कर कटौती के प्रस्ताव को नहीं समझने वाले लोग तो शायद यह खयाल करें कि विरोधीदल के लोग शिक्षा जैसे उपयोगी विषय पर भी गवर्नमेन्ट जो चीज करना चाहती है उसमें रिडक्शन करवाना चाहते हैं। मगर जैसा कि इस सदन के सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में पहले कई बार इस चीज को साफ कर दिया है कि यह कटौती के प्रस्ताव सिर्फ सांकेतिक तौर पर लाये जाते है। उसको देखते हुए सदन के सदस्यों के सामने हमारी शिक्षा प्रणाली में जहां महां कमियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या सुझाव दिये जा सकते हैं उनकी तरफ मै सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा।

हर इन्सान के सामने यह समस्या रहती है कि वह शिक्षित होकर अपनी रोजी कमाने का, अपना पेट भरने का पूरा इन्तजाम कर सकता है या नहीं। हर अच्छी विकसित सरकार का यह कर्तव्य और फर्ज है कि वह अपने देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का इन्तजाम करे, ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करे, जिसे लेकर, जिस शिक्षा में शिक्षित होकर वहां के जन, वहां का जनसमुदाय अपने आप सेल्फ सपोर्टिंग बनने में कामयाब हो सकें। जैसी शिक्षा प्रणाली इस समय हमारे मुल्क में प्रचलित है वह मुल्क के नव जवानों को इस योग्य नहीं बनाती है कि वह उसको लेकर अपना गुजारा खुद कर सकें। मेरे एक पूर्व वक्ता ने अभी सदन के सामने एक बात रखी थी कि जमाने की जो नई रफ्तार है, जिस तौर तरीके से, जिस ढंग से हम इस जमाने में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उसको देखते हुए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के अन्दर बहुत काफी रद्दोबदल करने की जरूरत है। हमें अपने मुल्क की शिक्षा प्रणाली को ऐसी बनाना चाहिए जो राष्ट्र के निर्माण के अन्दर उपयोगी साबित हो सके। जहां तक टैकनिकल एज्युकेशन का सवाल है मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि हमारे प्रान्त में इस शिक्षा की करीब करीब कतई कमी है। कहीं भी ऐसी इन्स्टीट्युशन नहीं है, कोई ऐसे विशेष कालेजेज नहीं हैं, जिनमें टैकनिकल एज्यूकेशन दी जाती हो। जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली के अन्दर इस तरह के ठोस कदम नहीं उठेंगे, क्योंकि जो कुछ शिक्षा हमें इस वक्त मिल रही है वह हमारे लिए आज कारगर साबित नहीं हो सकती है तो इस सम्बन्ध में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वह यह है कि जिसकी ओर मैं आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे जरूरी रद्दोबदल किये जाएं कि उस प्रणाली में शिक्षित होने पर हमारे मुल्क के नौजवान राष्ट्रनिर्माण के कामों में पूरा पूरा सहयोग दे सकें, अपना पेट भरने के लिए किन्हीं दूसरे लोगों पर अवलम्बित नहीं हों, क्योंकि जैसी शिक्षा प्रणाली आज हमें मिल रही है उस शिक्षा में शिक्षित होने के बाद सिवाय सरकारी नौकरी के या वकालत का धन्धा है, जोकि ऐसा धन्धा है कि जिसके द्वार सब लोगों के लिए हमेशा खुले हैं उनके सिवाय और कोई धन्धा उनके सामने नहीं रहता है।

दूसरी चीज जिसकी ओर मुझे सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना है वह यह है कि जब हमारा मुल्क स्वतंत्र हो गया, जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया तो फिर हमारी शिक्षा में हमारी भारतीय संस्कृति को भी डालने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी तरफ एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जैसी शिक्षा हमारी विदेशी सरकार, अंग्रेज लोग छोड़ गये उसी पद्धति पर चलते रहने से तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमारी अपनी संस्कृति को इस शिक्षा के अन्दर डालने की बहुत बड़ी जरूरत है।

मुझे एक विषय पर बड़ा अफसोस और दुःख हुआ कि शिक्षा के ऊपर कटौती प्रस्ताव पर वादविवाद होते हुए सदन में दोनों दलों में कुछ काफी गर्मी सी पैदा हुई। हमारे भूत पूर्व मुख्य मंत्रीजी नकुछ ऐसी बातें जरूर कहीं.......

एक माननीय सदस्यः—मुख्य मंत्रीजी नहीं, शिक्षा मंत्रीजी कहिये।

श्री मदनमोहनः—आइ एम सॉरी, शिक्षा मंत्रीजी। जिनमें यह कहा गया कि एक तरफ तो सहयोग की बात दूसरे दल के नेता और उपनेता कहते हैं और फिर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे उनकी भावनाओं को संशय की निगाह से देखना जरूरी प्रतीत होता है। मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जैसी भी भावनाएं हैं और जहां तक मैं मेरे अपने मित्र की भावनाओं को समझ सका हूं, मैं कह सकता हूं कि किसी किस्म का संशय करने की कोई जगह नहीं है। यह बात जरूर है कि जिस जगह कमियां नजर आईं वह हमने सामने रखीं। जैसा आपका एक्सपीरियन्स रहा, क्योंकि उस कार्य को आपने किया था, उसका जो आपने स्पष्टीकरण किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जैसी भावनाएं हमारे सहयोग की हैं उसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं हैं।

तीसरी चीज जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षा जैसे उपयोगी विषय में, जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आजकल चल रही है, उसमें एक खास रद्दोबदल करने की जरूरत है, और वह यह है कि छोटे छोटे स्कूलों में जहां छोटी छोटी उम्र के बच्चे पढ़ाये जाते हैं। उनकी शिक्षा के लिए जैसे शिक्षक रखे जाते हैं वह अपने काम को ठीक तौर से नहीं कर सकते हैं। अगर अपने यहां ऊंचे ऊंचे वेतन देकर अच्छे अच्छे शिक्षक छोटी क्लासों के लिए रखें जायं तो उसका दुःख नहीं होगा। आप छोटे २ बच्चों की शिक्षा का मूल्य अच्छी तरह से अंकित कर सकते हैं, मगर इस ओर कोई खास कदम अब तक नहीं उठाया गया है। मैं आशा करता हूं कि जो इन चन्द बातों की ओर मैंने सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया ह उसको ध्यान में रखते हुए इस तरफ जहां तक हो सकेगा कुछ ठोस कदम उठाने का प्रयत्न किया जायगा।।

श्री हरिदत्तः-माननीय अध्यक्ष, मैं एक चीज की तरफ सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा प्रचार और जैसी शिक्षा हमको

दी जा रही है हम अब तक उसके प्रति ही बातचीत करते चले आरहे हैं; उसका तात्पर्य केवल किताबी शिक्षा से ही है। अब तक किसी महानुभाव ने खेल के बारे में अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। उसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि स्पोर्ट्स, जो कि स्कूलों और कालेजों में पहले होते थे, उसमें अब मौजूदा जमाने में काफी डिटिरियोरेशन (ह्रास) देखता हूं। आजकल के बच्चे कोई एथलेटिक स्पोर्टस में इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं, न कोई अच्छे एथिलेट हुवे है, न हॉकी फुटबाल जैसे खेल में उनके टूर्नामेंटों में इन्ट्रेस्ट लेते हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने जो महसूस किया है वह यह है कि हमारे अध्यापक और मास्टर साहबान, जो इस वक्त स्कूलों और कालेजों में हैं, वे बावजूद इसके कि उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि वे स्टूडेन्ट्स के स्पोर्टस को कान्टीन्युअसली देखते रहें, इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

इधर ३,४ साल से मैं बच्चों के स्पोर्टस में, उनके खेल कूद में दिलचस्पी लेता रहा हूं। यह उनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। करोड़ों रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। इसकी बड़ी आवश्यकता है। जब कि मैं बच्चों से पूछता हूं कि तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं, हंसते खेलते क्यों नहीं हो, तो उनका कहना है घर में तो मां बाप नहीं खेलने देते हैं और मदरसे में जाते है तो मास्टर नहीं खेलने देता है। माननीय शिक्षा मंत्री साहब से मैं यह आशा करूंगा कि जब वे अपनी टूर्स में जायें तो यह जो अत्यन्त आवश्कता की बात है, और उनकी सबसे बड़ी शिकायत है उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—अध्यक्षजी, हाउस में अभी जो शिक्षा के महकमे के लिए जो मांग मैंने रखी थी, उसके संबन्ध में कटमोशन्स के सिलसिले में बहस करते हुए माननीय सदस्यों ने जो कोई पोंइन्टस बताये हैं उनमें से बहुत सों का जवाब तो करीब करीब मेरे साथी से मिल चुका है। जितने बाकी बचे हैं उनके लिए मैं थोड़े से शब्दों में हाउस की जानकारी के लिए यह प्रस्तुत करता हूं।

सबसे पहले एक पोंइन्ट जो एज्युकेशन-सेट-अप के लिए हमारे विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो कहा है वह यह है कि रोज यह कहा जाता है कि पुरानी राजधानियों को किसी तरह बिगड़ने न देने के लिए, उनके स्टेटस को कायम रखने के लिए, कुछ महकमों को वहां रखा जायगा और इसीलिए बीकानेर में एज्युकेशन का महकमा वहां रखा गया था। मैं हाउस की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि अभी एज्युकेशन का महकमा यानी डाईरेक्टर आफ एज्युकेशन का दफ्तर वहां पर ही है, परन्तु.... (विचार जारी)

माननीय अध्यक्ष:—हाउस में जब कोई सदस्य बोलते है तो कई बार कई माननीय सदस्य उनके बीच में से होकर जाया करते है। इस बारे में जानकारी के लिए सरक्यूलर भी परिचारित किया गया था। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की बातों को एवॉइड करने की कोशिश करेंगे।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--कई बातों की जानकारी के लिए शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को यहां अक्सर जयपुर में बराबर रहना पड़ता था और जैसी कि उनकी शिकायत थी कि इस प्रकार बार बार आने जाने में खर्चा बहुत पड़ता है तो इस हिसाब से यहां उनके महकमे के दफ्तर को न रखकर सिर्फ उनके पर्सनल दफ्तर को यहां रखने की पहले ऐसी इजाजत दी गई थी और इसी हिसाब से वह अब तक चल रहा है क्योंकि यह सेशन शीघ्र ही खत्म होने वाला है और पूरे सेशन का कार्य निपटाना है इस महकमे के दफ्तर को वहां रखकर काम करने के लिए और सरकार को बारबार खर्चे का बोझ उठाना नहीं पड़े इसलिए उनका यहां दफ्तर रखा है।

दूसरा सुझाव यह था कि जब मैं यहां मिनिस्टर बना था तो मेरे दिमाग में भी यह आया था कि सब डिप्टी डाइरेक्टर्स एक ही जगह इकट्ठे कर दिये जायं, फिर यह आया कि उन्हें दौरे पर डिवीजनों में बारबार जाना आना पड़ता है इससे यही अच्छा है कि उनके डिवीजन अलग अलग बांटकर उनके हैडक्वार्टर्स वहीं डिवीजन में कर दिये जायं। मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता को फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सवाल को बजट के संबन्ध में हमारे सामने रखा और मैं इसका इम्प्लीमेन्टेशन भी करूंगा। इसके बाद वहां कालेजेज खोलने के बारे में जो क्राइटेरिया बतलाया है उसके लिये मैं अर्ज करूं कि ऐसा हार्ड एण्ड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है कि किस जगह कालेज पहले खोली जावे। पिछले साल जो कॉलेजेज खोली गई थीं उनमें कई भिन्न सोचने की बातें थी। कई जगह से ऐसी मांगें होती हैं जहां के लोग खुद आगे आकर सहयोग देने को तैयार होते हैं। तो वहां कितनी प्राइवेट स्कूलें हैं और ज्यादा खोलने की वहां जरूरत है या नहीं, ये सारी बातें जानने की हैं। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां कालेजेज खोली जावें, दूसरे कहते हैं कि वहां न खोल कर यहां खोली जावें; हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। उधर जावें तो इधर का काम खराब हो जाता है और इधर जावें तो उधर का काम खराब हो जाता है इसमें राजनीति की कोई बात नहीं रखी जायगी। राजनीति की बातें इस क्षेत्र में न आने देना ही अच्छा है। मैं आपसे यह अर्ज कर सकता हूं कि इस काम के लिये बजट को सामने रखते हुए मैंने प्लान बना लिया है। फिर भी जो कुछ कर सकूंगा एक कालेज या मिडल स्कूल या हाई स्कूल जहां कहीं भी पहले खोलने की आवश्यकता है वहां पहले खोलने का प्रयत्न करूंगा। मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझसे जो कुछ बन सकेगा सही ढग से करूंगा। मैंने एक ऐसा नक्शा बनाया है जिससे प्राइमरी स्कूलें, मिडल स्कूलें, हाई स्कूलें व कालेजेज कहां कहां पर हैं उनका पता एट ए ग्लान्स मालूम हो जाय। उससे यह मालूम होजाता है कि कहां किस प्रकार की स्कूलें हैं और कहां नहीं है? पहले मौका उन्हीं एरियाज को दिया जायगा जहां पर इस प्रकार की स्कूलें नहीं हैं। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि मैं इस मामले को बहुत ठीक तरह से कुछ भी गुंजायश होगी तो बिना भेदभाव के, सुलझाऊंगा और जिस एरिया में स्कूलें नहीं हैं, वहां अवश्य खोली जायेंगी।

**एक माननीय सदस्य:**--आपत्ति। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक ऐसा नक्शा तैयार किया गया है उससे यह मालूम होगा कि किस एरिया में स्कूलें नहीं

हैं और कैसी जगहों पर स्कूलें पहिले खोली जायेंगी। जैसलमेर बहुत बड़ा इलाका है जो रेगिस्तान है। वहां की आबादी कम है तो क्या हम यह मानें कि जैसलमेर में और स्थानों की अपेक्षा ज्यादा स्कूलें खोली जावेंगी ?

माननीय श्री नाथूराम:--मैं आपको जानकारी के लिये अर्ज करूंगा कि जैसलमेर में भी एक लाख आदमी बसते हैं। उन्हें भी पढ़ाने लिखाने का भार हम पर है। यदि हम वहां प्राइमरी स्कूलें खोलेंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे या दूसरी जनता के साथ अन्याय नहीं होगा।

इसके बाद एडल्ट एजुकेशन के बारे में जो माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि ७५ प्रतिशत रुपये ऐसी जगह पर खर्च होते हैं जो मैं बतलाना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि यह एडल्ट्स को पढ़ाने-लिखाने के काम में खर्च किया जाता है या किस काम में ?

श्री जसवन्तसिंह:--यह सिर्फ एक ही डिविजन के लिये बताया था।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:-यह जानकारी नहीं है कि एक डिविजन के लिये ७५ प्रतिशत रुपये खर्च होते हैं या नहीं। अगर एक डिविजन के लिये ७५ प्रतिशत खर्च होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उधर का पैसा दूसरी जगह लगाया जाय; यह नहीं कि वहीं चालू रखा जाय। यदि फालतू पैसा खर्च होता है तो उसे बचाकर दूसरी जगह लगाया जायगा।

यह भी सवाल उठाया गया था कि जनता से पिछले साल पैसे लिये थे। वे पैसे जनता के हित के लिये ही खर्च होने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पिछली साल कुछ क्लासों में पाठ्यक्रम नये सिरे से बनाया था, जिसके फलस्वरूप पाठ्य पुस्तकों में कुछ रद्दोबदल हुआ था। टेक्स-बुक्स कमेटी के सामने यह प्रश्न उठाया कि बुकसेलर्स और पब्लिशर्स को जो फायदा होता है उसमें से १० प्रतिशत फायदे की रकम लेली जाय। उनमें से कइयों ने तो यह रकम जमा करा दी है और कइयों ने नहीं कराई है। जिन्होंने रकम जमा करायी थी उनके रुपये सरकार के पास सुरक्षित पड़े हैं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-डज दी गवर्नमेन्ट एप्रूव ओफ दिस एक्शन !

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:-....यह पोलिसी पिछली गवर्नमेन्ट की थी। मैं इस तरह के कार्य को ठीक नहीं समझता क्योंकि इससे कई झगड़े पैदा होते हैं और लोग भी कुछ का कुछ समझ लेते हैं। आगे यह चीज नहीं चलने वाली है। जो पैसा आया है वह सुरक्षित है। वह पढ़ाई के काम में खर्च करने के लिये लिया गया है और उसे लड़कों की पढ़ाई व प्राइमरी स्कूलें खोलने के काम में खर्च किया जायगा। फिर एक सवाल यह आया है कि ग्रान्ट इन एड का मामला दल २ में फंस गया है। इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं

कि विरोधी दल के नेता की यह बात कम समझ में आती है कि फालतू ग्रान्ट इन एड का खर्चा होता है ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सब रुपये फालतू खर्च होते हैं । हो सकता है कि जहां ज्यादा खर्च होना चाहिये कुछ कम हो; यानि ग्रेडेशन में कुछ फर्क हो सकता है। मगर जैसा कि उन्होंने कहा कि ४० हजार से ज्यादा ग्रान्ट इन एड दी जाती है जिसको वे डिजर्व नहीं करते ।

श्री जसवन्तसिंह:-मैंने यह कहा था कि ४० हजार से जिन २ संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड दी जाती है उनका अगर नक्शा हाउस से सामने पेश होता तो साफ हो जाता । इसलिये मैंने यह कहा था कि जिन २ को ४० हजार से ज्यादा एड मिलती है उनका नक्शा हमारे सामने हाउस में पेश होना चाहिये ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--अगर हाउस जानना चाहेगा तो मैं हाउस के सामने रख दूंगा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है । यदि आप देखना चाहते हैं कि किन २ स्कूलों को ४० हजार से ज्यादा मिलता है तो आप देख सकते हैं । वहां पर काम होता है या नहीं; ये सब बातें आप देख सकते हैं ।

यह कहा भी जाता है कि किसी २ स्कूल को ८० प्रतिशत या इससे भी ज्यादा ग्रान्ट इन एड दी जाती है । तो इसके संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि ६० से ८० प्रतिशत तक ग्रान्ट इन एड देने का रूल है । जो इन्सट्टियूट अच्छे हैं और जिनमें अच्छा काम होता है उनको ८० प्रतिशत तक एड दी जा सकती है। जिसको ग्रान्ट इन एड दी जानी चाहिये उसे हम देते हैं । हो सकता है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा मिले । जब हम देखेंगे कि इनके आंकड़ों में रद्दोबदल करने की आवश्यकता है, तो करेंगे; जरूर करेंगें।

इसके बाद में चौपासनी स्कूल का सवाल है । मैं भी वहां जोधपुर गवर्नमेन्ट में मंत्री के नाते उस समय काम कर रहा था । यदि आप उसका इतिहास उठा कर देखें तो आप उसे साम्प्रदायिक पावेंगे । इसका भार किस पर है इस बात के लिये यदि विवेचन करूं और इतिहास पर प्रकाश डालूं तो वह कोई सुन्दर बात नहीं । वहां जिनके लड़के पढ़ते हैं उनकी शिक्षा और उनकी दूसरी बातें तो सराहनीय हैं । वह पुराने जमाने की बनी हुई थी और वहां पर एक ही कौम के लड़के पढ़ते थे । जब हमारे यहां नया जमाना आया तब वह वहां इस रूप में नहीं चल सकती थी । अतः गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया और जोधपुर नरेश से यह तय किया गया कि इस स्कूल को मिलिट्री स्कूल बनाया जावे । इसको जोधपुर नरेश ने मंजूर किया था । इस पर भी वहां के लोगों ने राजनैतिक आरोप हम पर लगाया । मैं कह सकता हूं कि उन लोगों के दिमाग में यह चीज थी कि साधारण राजपूत को साथ लगाने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिये उन्होंने इसको एक सत्याग्रह के

रूप में लेकर सत्याग्रह का नाम दिया और कहा कि हमसे यह स्कूल छीनी जा रही है और लोगों ने वहां आकर कचहरी के दरवाजे बन्द कर दिये और उनको हटाने के लिये हमें टियर गेस छोड़नी पड़ी। आखिर हमने देखा कि कहां तक झगड़ा किया जावे? आखिर सरकार ने कहा कि स्कूल ले लो। उन लोगों ने ५ लाख रुपया देने का वायदा किया और जोधपुर हिज हाईनेस ने उसमें साख डाली। मगर वह रुपया अभी तक हवा में है। ऐसा सुना गया है कि उनको चन्दा भी नहीं मिल रहा है और ग्रान्ट इन एड के रूल्स के अनुसार सरकार उनको रुपया नहीं दे सकती है। अब इसके लिये चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। चारों तरफ से चिट्ठियें आती हैं। हाउस में भी बावेला सा मचा हुआ है। इस प्रश्न को इस तरह से क्यों लिया जा रहा रहा है, सीधे ही ढग से क्यों नहीं लिया जाता? सरकार को इससे कोई दुश्मनी नहीं और न सरकार कोई ऐसा रुख रखती है।

**श्री भीमसिंह**:—क्या यह सही है कि जहां ८०० लड़के पढ़ते थे वहां मिलिट्री स्कूल के लिये ३५ लड़कों के लिये प्रोविजन रखा गया।

**माननीय श्री नाथूराम मिर्धा**:—यह बिलकुल सही बात है कि ३५ लड़के ही मिलिट्री स्कूल में लिये जाते। लेकिन वे ३५ लड़के भी हिन्दुस्तान में अपना नाम कमाते क्यों कि हिन्दुस्तान में मिलिट्री स्कूलें बहुत कम हैं। यह जोधपुर के लिये बड़े शान की बात होती और इस स्कूल से जो लड़के निकलते वे हिन्दुस्तान में नाम कमाने वाले होते।

अब इस स्कूल का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है इसलिये यह कहा जाता है कि ग्रान्ट इन एड दी जाय। मैं कहता हूं कि अगर आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो राउन्ड अबाउट वे में क्यों कहते हैं। क्यों नहीं सीधे तरीके से कहते। इट शुड कम विथ क्लीअर हेन्ड। यह मसला सुलझाया जा सकता है।

इसके बाद में सी० पी० कॉलेज को एड देने का सवाल......

**श्री जसवन्तसिंह**:—मैंने जो कहा है वह ग्रान्ट इन एड का सवाल नहीं है। यह गवर्नमेंट रन इन्स्टीट्यूट है। राजस्थान सरकार के लिये यह शोभा नहीं देता कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो उसके अलावा प्राइवेट इन्स्टिट्यूट्स को ३० हजार रुपये देकर व्यर्थ पैसा क्यों खर्च किया जाता है?

**माननीय श्री नाथूराम मिर्धा**:—मुझे इसका कोई ध्यान नहीं। अब यदि कोई सुझाव रखेंगे तो मैं उसमें पीछे हटने वाला नहीं; अगर यह मामला सही है।

**माननीय अध्यक्ष**:—Five minutes more.

**माननीय श्री नाथूराम मिर्धा**:—जैसा कि अभी अखबारों के बारे में फरमाया कि हुक्म भेज दिया गया। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे अभी

पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि अखबारों की एप्रूवड लिस्ट जो हमारे पास आती है कि फलां अखबारों को लाइब्रेरी में भेजे जावें; हम उन्हे एप्रूव्ड कर देते हैं। हमने किसी खास तौर से किसी अखबार की सिफारिश नहीं की है। यदि आपको प्रजा सेवक से नाराजगी है कि उसे नहीं भेजा जावे तो उसे बन्द कर दिया जावेगा। में समझता हूं, प्रजा सेवक कांग्रेस का अखबार नहीं है। वह इनडिपेन्डेन्ट नीति को फोलो करने वाला अखबार है। स्कूलों में विद्यार्थियों के पढने के लिये कौन कौन से अखबार जाते हैं इस मामले को जानकारी करने की कोशिश नहीं की। अगर इस अखबार को कांग्रेस का समर्थन करने वाला मान कर बन्द कर दिया जाय; तो यह ठीक नहीं।

अभी श्री गोपीलाल यादव ने कहा कि देहातों के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को मैं बेकवर्ड क्लासेज मानता हूं। इसके लिये जो आंकड़े हैं उनको देखा जावे तो यह सभी मानते हैं कि शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये और २ करोड़ ५० लाख रुपया जो शिक्षा पर सरकार खर्च कर रही है उससे भी ज्यादा खर्च होना चाहिये। मैं मानता हूं कि प्राइमरी स्कूलें, मिडिल स्कूलें, हाई स्कूलें, इन्टरमीडिएट कालेज आदि जितनी तादाद में खोले जा सकें खोले जाने चाहिये और मैं भी इसके लिये उतना ही उत्सुक हूं जितना कि माननीय सदस्य महोदय। मगर प्रश्न यह उठता है कि पैसा कहां से लावें। हमारे पास दो लाख पचास हजार से ज्यादा रुपया नहीं। इस प्रकार गांवों में रहने वालों के लिये जितना हो सका हमने प्राइमरी स्कूलें दो वर्षों में खोलीं। वे करीब ६०० हैं। ७ कालेजज आदि खोली हैं। फिर भी यह कह सकता हूं कि रूरल एरियाज और बेकवर्ड क्लासेज के लिये जितना हमारा बजट एलाउ करता है, करने के लिये कोशिश की जा सकती है। इसलिये मैं भी इसके पक्ष में हूं कि जिन हलकों में स्कूलें नहीं हैं, खोली जावे। मैं खुद इस बात में विश्वास रखता हूं जब कभी पैसा आयेगा हम कोशिश करेंगे। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा बहुत लाया जा सकता है। यदि इस सम्बन्ध में सुझाव बतावेंगे तो मैं उनके वादे पूरे करने की कोशिश करूंगा और जितना पैसा हम बचा सकेंगे वह भी उस पर खर्च किया जावेगा।

शिक्षा-प्रणाली के लिये भी कहा गया है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि १९४९ के पहले अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पाठ्यक्रम थे और युनिफोर्म पाठ्यक्रम नये तरीके का है। जो पाठ्यक्रम १९५० में हुआ वह अब जाकर पूरा होता है। पिछले साल से किस क्लास में क्या पाठ्यक्रम होगा वह मंगाया जाय। उसको अगले साल से जारी किया जावेगा। उसमें फिजिकल ट्रेनिंग के लिये भी व दूसरी बातों के लिये भी, जैसे सफाई के बारे में, स्पोर्ट्स आदि के बारे में सारी बातें नये पाठ्यक्रम में हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे उसमें फिर कोई बात ऐसी देखें जो अनुचित हो तो फिर इस हाउस के सामने आकर कहें। यह नया पाठ्यक्रम ऑल इन्डिया एज्युकेशन बोर्ड की कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।.....

श्री कपिलदेवः—क्या माननीय सदस्य हाउस में अखबार पढ़ सकते हैं। इसके संबन्ध में माननीय अध्यक्ष आपसे रूलिंग चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः—हरगिज नहीं।

**माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:**—इसलिये नये पाठ्यक्रम में नये जमाने के माफिक अदल बदल हो यह तो किसी भी हालत में सम्भव नहीं होगा कि स्कूल से या कालेज से निकलते ही उन्हें काम पर लगा दिया जाय। और अगर इधर उधर मजदूर बनाकर उन्हें काम पर लगा भी दिया गया तो इससे देश को और उनको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है कि यह समस्या जल्दी से जल्दी सुलझाई जाय। अब उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जारहे हैं जिससे उनको उचित राहत मिल सके, उनकी स्थिति में संतोषजनक सुधार हो सके। यह मैंने थोड़ा सा आपके सामने जवाब दिया है। क्यों कि मेरा समय समाप्त हो गया है इसलिए बाकी प्रश्नों का बाद में कभी मौका आया तो उस समय अवश्य उत्तर दूंगा।

**श्री इन्द्रनाथ मोदीः**—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि नये पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो नई किताबें लिखी जा रही हैं उनके लिए एक महीने की अवधी दी गई है और इसस क्या यह आशा की जा सकती है कि इस थोड़े से समय में ठीक किताबें लिखी जा सकती हैं।

**माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:**—वह एक बहुत बड़ा सवाल है और कई तरह की गलत फहमियां ही इस बारे में हो रही हैं; यह मुझे मालूम है। लेकिन बात ऐसी है है कि पिछले साल में यह हुक्म हो चुका था कि पाठ्यक्रम अगले साल से लागू होगा और डायरेक्टर आफ एजूकेशन ने पुराने हुक्म के अनुसार यह सर्क्युलर निकाल दिया था कि सात मई तक सारी ऐसी किताबें हमारे पास पहुंच जाय। यह तो मैंने भी समझ लिया था कि यह किसी भी तरह नहीं होगा कि एक महीने के अन्दर ही किताबें लिखी जा सकें और इसीलिए मैंने यह निर्णय कर लिया है कि इस पाठ्यक्रम को इस साल के बजाय अगले साल से बदला जाय। इसलिए यह रखा गया है कि किताबें लिखने का काम ३१ मार्च तक कर दिया जाय और इसके बाद में महीने भर तक इंक्वायरी कमेटी में इसकी जांच हो जाय और इसके बाद महीने भर तक मैं भी देख सकूं। इस तरह सारा मामला दिसम्बर तक ठीक हो जाता है। एक महीने में गवर्नमेन्ट निर्णय कर लेगी। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था कर दी गई है और यह हुक्म जारी कर दिये गए हैं कि यह पाठ्यक्रम अगले साल से लागू किया जायगा।

**श्री गोपीलाल यादवः**—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र श्री शिक्षा मंत्री ने जो अश्वासन दिये हैं कि अगर उनको रुपया मिल जायगा तो वह देहाती लोगों की शिक्षा पर जरूर खर्च करेंगे। उस अश्वासन को मैं मानते हुए और यह यकीन दिलाते हुए की अगर वह इस ओर ध्यान देंगे तो मैं उन्हें जितने रुपये की जरूरत होगी दिलाऊंगा, मैं अपना कट मोशन नं० १ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री गोपीलाल यादव ने जो कटौती प्रस्ताव नं० १ हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गोपीलाल यादव:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर १ वापिस लेता हूं।

श्री बी. एन. जोशी:--मैं अपना कटमोशन नम्बर २ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री बी. एन. जोशी ने जो कटौती प्रस्ताव नम्बर २ हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री बी. एन. जोशी:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर २ वापिस लेता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास:—मैं अपने कटमोशन संख्या ३, ४, ५ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री दामोदरलाल व्यास ने जो कटौती प्रस्ताव नं० ३, ४, ५ हाउस के सामने रक्खे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री दामोदरलाल व्यास:—मैं अपने कटोती प्रस्ताव नं० ३, ४, ५ वापिस लेता हूं।

श्री तेजमल बाफना:-मैं अपना कटमोशन संख्या ६ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री तेजमल बापना ने जो कटौती प्रस्ताव संख्या ६ हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री तेजमल बापना:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ६ वापिस लेता हूं।

श्री कपिलदेव:—मैं अपना कट मोशन संख्या ७ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री कपिलदेव ने जो कटौती प्रस्ताव संख्या ७ हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री कपिलदेव:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ७ वापिस लेता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—मैं अपना कट मोशन संख्या ८ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री जसवन्तसिंह ने जो कटौती प्रस्ताव संख्या ८ हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री जसवन्तसिंह:—मैं अपना कटौती प्रस्तव नं० ८ वापिस लेता हूं।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़):—मैं अपना कटमोशन संख्या ९ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री मानसिंह ने जो कटौती प्रस्ताव संख्या ९ हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री मानसिंह:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं ९ वापिस लेता हूं।

श्री रामदयाल:—मैं अपना कटमोशन संख्या १० वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री रामदयाल ने जो कटौती प्रस्ताव संख्या १० हाउस के सामने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री रामदयाल:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० १० वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है—

"That a sum not exceeding Rs. 2,50,00,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953. in respect of Grant No. XV Major Head 37 — Education."

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

( विराम )

## (घ) शेष अनुदान

अध्यक्ष महोदय:--अब साढ़े बारह बज गए हैं; इसलिये शेष 'डिमाण्ड्स फोर ग्रान्ट्स' को मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

**Grant No. XVI, Major Head 38-Medical.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,07,50,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XVI, Major Head 38-Medical.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXX, Major Head 63—Extraordinary Charges.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 18,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXX, Major Head 63—Extra ordinary Charges.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No VII, Major Head—17Irrigation, Navigation, etc**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,07,30,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. VII, Major Head 17—Irrigation, Navigation, etc.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXIV, Major Head 50—Civil Works.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 168,25,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXIV, Major Head 50 Civil Works.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. I, Major Head 7—Land Revenue.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 98,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the

charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. I, Major Head 7-Land Revenue.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. II, Major Head 8-State Excise**.—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 44,55,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of grant No II Major Head 8—State Excise.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. III, Major Head 9-Stamps.**—The buestion before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,48,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No.III, Major Head 9—Stamps.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. IV, Major Head 10--Forest.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27,80,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No.IV. Major Head 10-Forest.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. V, Major Head 11-Registration**.—The question before the House is that a sum not exceeding Rs.1,45,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. V, Major Head 11--Registration.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No.VI, Major Head 13-Other Taxes & Duties**.—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 69,20,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No.VI. Major Head 13--Other Taxes and Duties.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. IX, Major Head 25—General Administration, Parliament & State Legislature and Elections.** – The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 19,06,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. IX, Major Head 25—General Administration, Parliament and State Legislature and Elections.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. X, Major Head 25—General Administration, Commissioners, etc.** - The question before the House is that a sum not exceeding Rs.98,63,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No.X, Major Head 25—General Administration, Commissioners, etc.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XII, Major Head 28—Jails and Convict Settlement.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No.XII, Major Head 28—Jails and Convict Settlement

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XIV, Major Head 36—Scientific Departments** —The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,68,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No.XIV, Major Head 36—Scientific Departments.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XVII, Major Head 39 Public Health.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 44,45,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XVII, Major Head 39—Public Health.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XVIII, Major Head 40 –Agriculture.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 17,91,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XVIII, Major Head 40—Agriculture.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XIX, Major Head 40-'A'—Rural Dovelopment and Social ervice**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,15.000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XIX, Major Head-40'A'— Rural Development and Social Service.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XX, Major Head 41 --Veterinary.** The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,70,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XX, Major Head 41—Veterinary.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXI, Major Head 42—Co-operation.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,07,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXI Major Head 42—Co-operation.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXII, Major Head 43 Industries and Supplies.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXIII, Major Head 47—Miscellaneous Departments.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 42,34,848 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXIII, Major Head 47—Miscellaneous Departments.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No XXV, Major Head 50—Civil Works ( Electricity Schemes )** — The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,04,55,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No XXV, Major Head 50—Civil Works.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXVII, Major Head 55—Superannuation Allowances and Pensions.** The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 38,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXVII, Major Head 55—Superannuation Allowances and Pensions

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXVIII, Major Head 56—Stationery and Printing.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XXVIII, Major Head 56—Stationery and Printing.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXIX, Major Head 57—Miscellaneous.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 52,84,658 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXIX, Major Head 57—Miscellaneous.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXI. Major Head 68—Construction of Irrigation, Navigation, Drainage Woks, etc** The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,28,60,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXI, Major Head 68—Construction of Irrigation, Navigation, Drainage Works, etc.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXII, Major Head 70—Capital Outlay on Improvement of Public Health** —The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 11,40,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXII, Major Head 70 Capital Outlay on Improvement of Public Health.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXIII, Major Head 72—Capital Outlay on Industrial Development** —The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5.00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXIII, Major Head 72 Capital Outlay on Industrial Development.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXIV, Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account**. The question before the House is that a sum not exceeding Rs 33,34,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXIV, Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXV, Major Head 81-'A'—Capital Account of Electricity Schemes**. The question before the House is that a sum not exceeding Rs.17,30,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXV, Major Head 81—'A' Capital Account of Electricity Schemes.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXVI, Major Head 85-'A'-Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 4,95,25,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXVI, Major Head 85-'A'—Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

**Grant No. XXXVII, Major Head Loans and Advances.**—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 83,75,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XXXVII—Loans and Advances.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

माननीय अध्यक्ष:—सदन की कार्यवाही कल ८॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक शुक्रवार तारीख १८-४-५२ के ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

टाउन हॉल
जयपुर,
दिनांक १७ अप्रेल, १९५२.

**मनसाराम पुरोहित**
सचिव,
विधान सभा, राजस्थान.